Hot Baloon Safari, Bandhavgarh

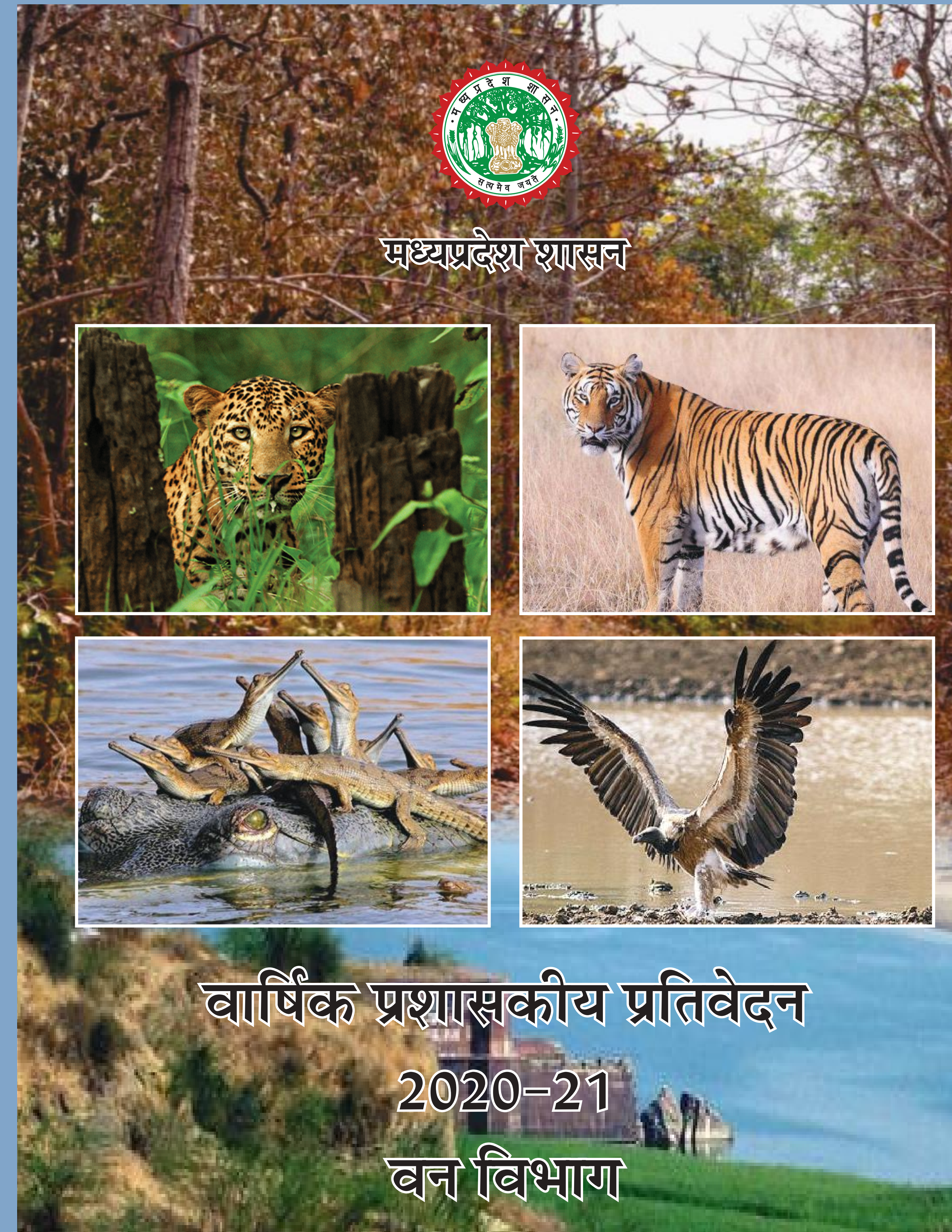

मध्यप्रदेश शासन

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
2020-21
वन विभाग

मा. वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह द्वारा राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर का निरीक्षण एवं समीक्षा

निगमित सामाजिक दायित्व के तहत बरघाट परियोजना मण्डल में उज्जवला योजना गैस रिफलिंग वर्ष 2019–20

सिलाई प्रशिक्षण वनमंडल औबेदुल्लागंज ग्राम– चिकलोद वनमण्डल चिकलौद

मध्यप्रदेश शासन

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

2020—2021

वन विभाग

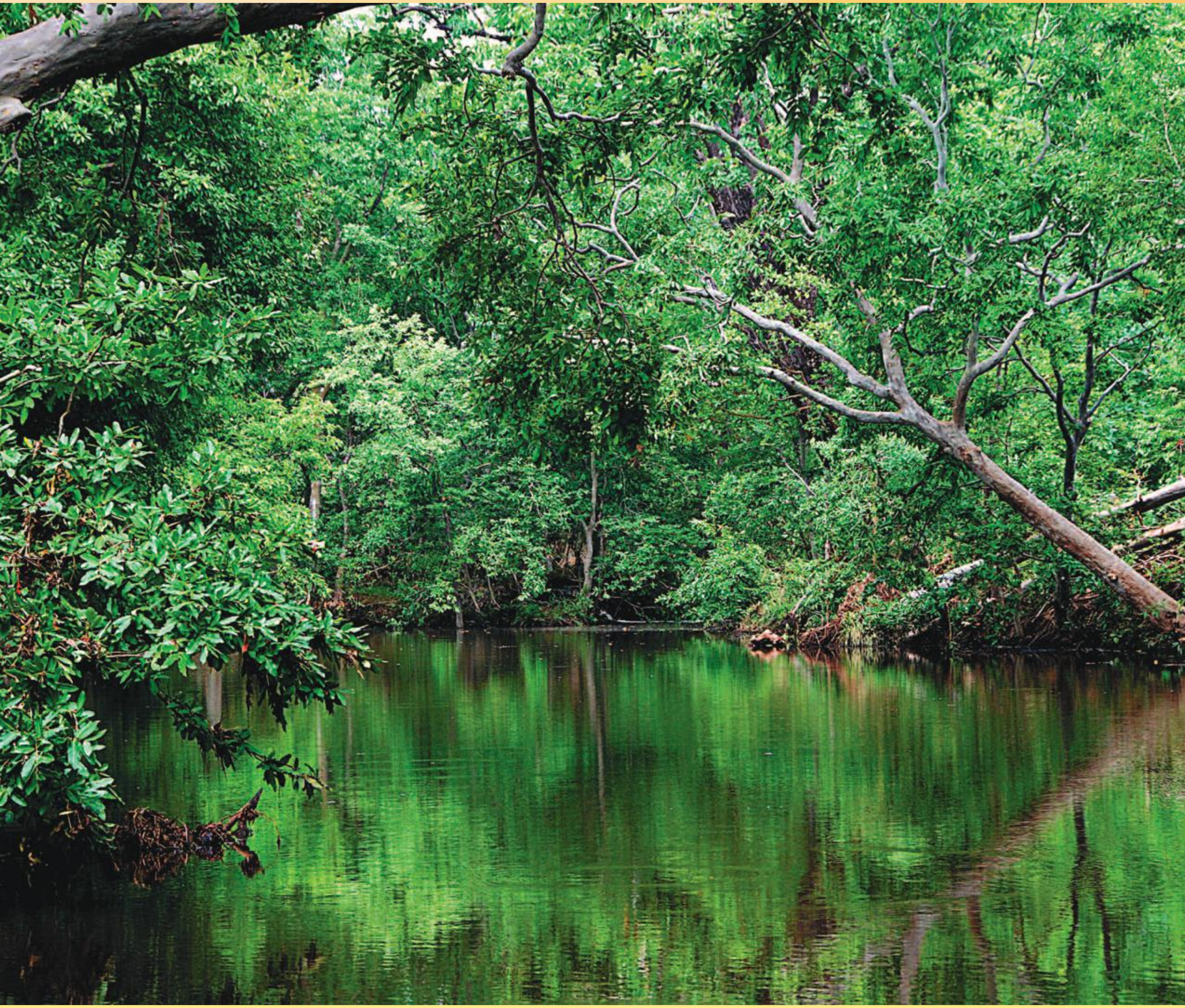

कवर पृष्ठ : शेर, तेन्दुआ, गिद्ध तथा घड़ियालों की संख्या में मध्यप्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त किये जाने के उपलक्ष्य में।

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

वर्ष 2020–21

विभाग का नाम	वन विभाग
माननीय वन मंत्री	डॉ.कुंवर विजय शाह
सचिवालय	
प्रमुख सचिव	श्री अशोक बर्णवाल 31.03.2020 से निरन्तर
सचिव	श्री एच.एस. मोहन्ता 13.08.2019 से 06.02.2021 तक श्री अजय यादव 15.02.2021 से निरंतर
पदेन सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	श्री संजय मोहरीर 24.07.2018 से निरंतर
अपर सचिव	श्री अतुल मिश्रा 24.07.2018 से निरंतर
उप सचिव	श्री राजेश ओगरे 11.07.2019 से 19.10.2020 तक
अवर सचिव	श्रीमति विजया पुनवटकर 04.09.2018 से निरंतर
विभागाध्यक्ष	
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र.	डॉ. यू.प्रकाशम 31.05.2020 तक श्री राजेश श्रीवास्तव 01.06.2020 से निरन्तर

अहमदपुर नर्सरी, भोपाल

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2020–21

विषय क्रम

क्रमांक	भाग –1	पृष्ठ क्रमांक
	अध्याय– एक	
1.1	सामान्य	01
1.2	विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय	03
1.3	प्रशासित अधिनियम	03
	अध्याय–दो	
1.4	विभागीय संरचना	05
	स्थापना	07
	सतर्कता एवं शिकायत	13
	मानव संसाधन विकास	13
	नीति विश्लेषण	14
	संयुक्त वन प्रबंधन	14
	ग्रीन इंडिया मिशन	16
	निगरानी एवं मूल्यांकन	18
	अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकी	19
	भू–प्रबंध	21
	कैम्पा	22
	सूचना प्रौद्योगिकी	24
	वन संरक्षण	25
	उत्पादन	28
	वन्यप्राणी प्रबंधन	30
	कार्य आयोजना	34
	वन भू–अभिलेख	36
	समन्वय	37
	प्रोजेक्ट	37
	अध्याय–तीन	
1.5	मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम	38
1.6	मध्यप्रदेश राज्य लघुवनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ	45
1.7	राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर	53

1.8	मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड	58
1.9	मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड	60
1.10	मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन	62
	भाग–2 बजट विहंगावलोकन	
2.1	आयोजना व्यय	67
2.2	आयोजनेत्तर व्यय एवं राजस्व	73
	भाग–3 योजनाएँ	
3.1	कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन	76
3.2	वन अधोसंरचना का सुदृढीकरण	77
	भाग–4	
4.1	पुरस्कार	80
4.2	महत्वपूर्ण सांख्यिकी	82
	भाग–5	
	विभाग के प्रकाशन	84
	भाग–6 परिशिष्ट	
1	क्षेत्रीय इकाईयों का विवरण	85
2	कार्य पालिक पदो की वृत्तवार, पदवार जानकारी	86
3	लिपिकिय पदों की वृत्तवार, पदवार जानकारी	87
4	विविध एवं चर्तुथ क्षेणी वृत्तवार, पदवार जानकारी	88
5	वर्षवार विभिन्न गैर वानिकी कार्यों के उपयोग हेतु व्यपवर्तित वन भूमि	89
6	वर्ष 2020 में अंतिम चरण स्वीकृति प्राप्त महत्वपूर्ण प्रकरण	91
7	वर्ष 2020–21 मे प्राधिकरण के अंतर्गत प्रचलित कार्यों की सूची	92
8	वृत्तवार/वर्षवार अवैध कटाई के प्रकरण	94
9	वृत्तवार/वर्षवार अवैध चराई के प्रकरण	95
10	वृत्तवार/वर्षवार अवैध परिवहन के प्रकरण	96
11	वृत्तवार/वर्षवार अतिक्रमण के प्रकरण एव प्रभावित क्षेत्र	97
12	वृत्तवार/वर्षवार अवैध उत्खनन के दर्ज प्रकरण एव प्रभावित क्षेत्र	98
13	वृत्तवार/वर्षवार दर्ज वन अपराध प्रकरण	99
14	वृत्तवार/वर्षवार अवैध परिवहन मे जप्त वाहनों की संख्या	100

15	वृत्तवार/वर्षवार न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण	101
16	वृत्तवार/वर्षवार वन अपराध एवं अन्य विविध प्राप्तियॉ	102
17	वृत्तवार/वर्षवार अग्नि प्रभावित क्षेत्र	103
18	वृत्तवार/वर्षवार म.प्र. काष्ठ चिरान अधिनियम के उल्लंघन के प्रकरण	104
19	प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों की सूची	105
20	मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के शासकीय एवं अशासकीय सदस्य	106
21	भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून से प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार वनाच्छादन	107

भाग—1
अध्याय – एक

1.1 सामान्य

भारत के हृदय स्थल के रुप में स्थित मध्यप्रदेश प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता विशेषकर वन एवं वन्यप्राणियों की विविधता के लिये जाना जाता है। मृदा और जल के संरक्षक के रुप में वनों की महत्ता अद्वितीय है। मध्यप्रदेश की विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं एवं उनका जलग्रहण क्षेत्र वनाच्छादित होने के कारण ही कृषि एवं कृषि पर आधारित जनसंख्या का पोषण कर पाती है। यहॉ उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले सागौन, मिश्रित तथा साल के वन है। मंडला, डिण्डोरी, शहडोल तथा बालाघाट में साल वन हैं चंबल क्षेत्र ग्वालियर, शिवपुरी, भिण्ड तथा दतिया में करधई तथा झाड़ीदार वन है, तथा शेष क्षेत्र में बहुमूल्य सागौन वन है। वनों से लकड़ी के अलावा बांस एवं प्रचुर मात्रा में विभिन्न प्रकार की लघुवनोंपज एवं औषधीय प्रजातियॉ मिलती हैं। प्रदेश औषधीय पौधों के समृद्ध संसाधनों से भी परिपूर्ण है। चूॅकि वनों में तथा वनों की सीमा के आस–पास रहने वाले आदिवासी एवं अन्य ग्रामीण जनता का बहुत बड़ा भाग वनों पर निर्भर है, अतः वन विभाग का प्रमुख दायित्व वनों का वैज्ञानिक दृष्टि से इस तरह प्रबंधन करना है कि न सिर्फ ग्रामवासियों को वनों से जीविकोपार्जन का स्त्रोत निरंतर बना रहे, बल्कि प्रबंधन में उनकी भागीदारी भी सशक्त हो और वन एक प्राकृतिक धरोहर के रुप में संवहनीय, संरक्षित एवं संवर्द्धित संसाधन के रुप में विकसित करता रहे।

मध्यप्रदेश में वन विभाग की स्थापना वर्ष 1860 से ही वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन प्रारंभ हो गया था और संभवतः मध्यप्रदेश भारत का पहला राज्य है जहां भारत की प्रथम वन नीति 1894 से ही वर्किंग प्लान बनाने का कार्य प्रारंभिक स्तर पर चालू किया गया था। इस गौरवमय परम्परा को आगे बढ़ाने में आज भी वन विभाग गौरवान्वित महसूस करता है।

वर्तमान में वन विभाग में शासन स्तर पर वनमंत्री की सहायता अपर मुख्य सचिव, सचिव, पदेन सचिव, अपर सचिव, उप सचिव एवं अवर सचिव के दल द्वारा की जाती है। वन विभाग के अधीन विभिन्न गतिविधियां विभिन्न शाखा प्रमुखों के माध्यम से संचालित की जाती है, जिनके मध्य समन्वय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख करते हैं।

1.1.1 **प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख** द्वारा प्रदेश के वनों के संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखा जाता है। साथ ही वे अन्य विभाग प्रमुख एवं विभाग के अन्तर्गत आने वाले मंडल, उपक्रम एवं संस्थाओं के साथ समन्वय करते हैं।

1.1.2 **प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)** द्वारा प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखा जाता है तथा वैज्ञानिक आधार पर पूरे प्रदेश में वन्यप्राणियों का संरक्षण किया जाता है।

1.1.3 **प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख)** द्वारा प्रदेश के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु कार्य आयोजनाओं का पुनरीक्षण तथा वन भू–अभिलेख का संधारण किया जाता है।

1.1.4 **प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)** द्वारा कार्य आयोजनाओं के प्रावधानों के अनुसार कूपों से इमारती लकड़ी, जलाऊ, बॉस एवं खैर का वन वर्धन के अनुसार विदोहन एवं व्यापार किया जाता है तथा वनों के समीप बसे ग्रामीणों की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निस्तार व्यवस्था की जाती है।

विभाग के राजस्व लक्ष्य की पूर्ति का मुख्य दायित्व इन्हीं का है।

भारत सरकार द्वारा भारतीय वन सेवा के कैडर प्रबंधन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 02 जुलाई 2015 के अनुक्रम में राज्य शासन के निर्देशानुसार विभाग की अन्य महत्वपूर्ण शाखाओं का नियंत्रण प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी करते हैं।

1.1.5 **प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी)** द्वारा राष्ट्रीय वन नीति के अनुसरण में वन क्षेत्रों का विस्तार एवं वन के प्रबंधन में जनभागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

1.1.6 **विशेष प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)** द्वारा विभाग अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण एवं वन विकास की योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश दिये जाते हैं।

1.1.7 **प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी बांस मिशन** के द्वारा बांस आधारित उद्यमिता एवं विकास योजनाओं के तहत् नर्सरी विकास, बिगड़े बांस वनों का सुधार, बांस रोपण, बांस शिल्पकारों का दक्षता निर्माण कार्यशाला तथा बांस बाजार का आयोजन कराया जाता है।

1.1.8 विभाग के अन्तर्गत आने वाले मंडल/उपक्रम/संस्थाएं

1. **मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम** – राष्ट्रीय कृषि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट, 'प्रोडक्शन फॉरेस्ट्रीः मैन–मेड फॉरेस्ट्स' (1972) के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई, 1975 को की गई थी। म.प्र. राज्य वन विकास निगम का प्रमुख उद्देश्य निम्न कोटि के वनक्षेत्रों को तेजी से बढ़ने वाली बहुमूल्य तथा बहुउपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित कर उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है।

2. **मध्यप्रदेश राज्य लघुवनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ** – मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज 'व्यापार एवं विकास' सहकारी संघ का गठन 1984 में किया गया। प्रदेश में लघु वनोपज का संग्रहण एवं व्यापार इस संस्था द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 1989 में इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और लघु वनोपज के संग्रहण कार्य में संलग्न प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्ग के ग्रामीणों की आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु वनोपज के संग्रहण एवं विपणन का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया।

3. **राज्य वन अनुसंधान संस्थान** – राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, वर्ष 1963 में अस्तित्व में आया। यह संस्थान वन, वनस्पति, वनवर्धन, वृक्ष सुधार, बीज तकनीकी, जैव विविधता, वन अनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वनोपज विपणन, वन विस्तार, वन मापिकी, वन पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय प्रभाव आदि विषयों में शोध एवं तकनीक विकसित कर उनके प्रचार–प्रसार का कार्य करता है।

4. **मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड** – राज्य शासन द्वारा जैवविविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का गठन राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 11 अप्रैल 2005 से किया गया जिसे अधिसूचना दिनांक 25 अगस्त 2014 से वन विभाग, मध्य प्रदेश शासन से संबद्ध किया गया है। बोर्ड की मुख्य भूमिका जैवविविधता का संरक्षण, उसके संघटकों का पोषणीय उपयोग तथा जैविक स्त्रोतों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत लाभ का उचित एवं सम्यक वितरण सुनिश्चित करना है।

5. **मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड** – वन विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास

बोर्ड एक स्वशासी संस्था है, जिसका गठन 12 जुलाई, 2005 को म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के अंतर्गत किया गया। बोर्ड द्वारा ईकोपर्यटन गतिविधियों का विस्तार किया जाता है।

6. **मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन** – मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन 03 जुलाई 2013 को राष्ट्रीय बांस मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन द्वारा प्रदेश में बांस आधारित उद्यमिता एवं विकास योजनाओं के तहत नर्सरी विकास, बिगड़े बांस वनों का सुधार, बांस रोपण, बांस शिल्पकारों का दक्षता निर्माण, कार्यशाला तथा बांस बाजार का आयोजन किया जा रहा है।

1.2 विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय

वन विभाग का दायित्व वनों का वैज्ञानिक दृष्टि से प्रबंधन करना है, ताकि वनों की संवहनीयता बनाए रखते हुए उनसे वन उत्पाद प्राप्त किया जा सके, स्थानीय लोगों को उनकी आवश्यकता के वन उत्पाद यथासंभव प्राप्त हो सकें, तथा वन आधारित उद्योगों को कच्चे माल की पूर्ति की जा सके। इन दायित्वों के निर्वहन के लिए वन विभाग की निम्नानुसार प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं –

1. राज्य में वनों की जैव विविधिता का संरक्षण, जिसमें वन्य पशुओं एवं वनस्पति का संरक्षण सम्मिलित है।
2. राज्य के वन, जिसमें रोपण सम्मिलित हैं, उनका संरक्षण, संवर्धन, सीमांकन, विकास, गैर–वानिकी उपयोग, वनोपज निकासी, चराई एवं अन्य निस्तार सुविधाओं का निर्धारण।
3. संयुक्त वन प्रबंध के संबंध में विभिन्न अधिनियम तथा नियमों के अनुसार नीति निर्धारण।
4. जनहानि, पशु हानि के संबंध मे नियमन तथा हिंसक हुए वन पशुओं के आखेट के लिये नियम।
5. वन तथा वन्य प्राणी विषयक।
6. गैर–वानिकी क्षेत्रों में वानिकी गतिविधियों का विस्तार।
7. भारतीय वन सेवा, राज्य वन सेवा और कार्यपालिक, लिपिकीय एवं अन्य विविध सेवाओं से सम्बद्ध सभी विषय, जिनसे विभाग का संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित विषयों को छोड़कर)।

   उदाहरणार्थ :–नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानान्तरण, वेतन, अवकाश, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, भविष्य निधि, प्रतिनियुक्ति, दण्ड तथा अभ्यावेदन।

1.3 प्रशासित अधिनियम

1. **भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16/1927)** - यह अधिनियम वनों की उपज की अभिवहन और इमारती लकड़ियों तथा वन–उपज पर उगाहने योग्य शुल्क से संबंधित विधि के समेकन के लिए अधिनियम है। यह अधिनियम मध्य प्रदेश में 01 नवम्बर 1956 से प्रभावशील है। ग्राम वन एवं संरक्षित वन के संवर्धन एवं प्रबन्धन में ग्राम वन समितियों की भूमिका को और सशक्त एवं प्रभावी किये जाने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम अन्तर्गत मध्यप्रदेश ग्राम वन नियम 2015 तथा मध्यप्रदेश संरक्षित वन नियम 2015 बनाकर दिनांक 04 जून 2015 से प्रभावशील किया गया है।

2. **वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 53/1972)** – यह अधिनियम देश की पारिस्थितिकीय और पर्यावरण में सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से, वन्यप्राणियों, पक्षियों और पादपों के संरक्षण के लिए तथा उनसे संबंधित या प्रासंगिक या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए है। यह अधिनियम 09 सितम्बर, 1972 से प्रभावशील है।

3. **म.प्र. काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 13/1984)** – यह अधिनियम वनों एवं पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिये–आरा मिलों की स्थापना और प्रवर्तन – संक्रिया तथा काष्ठ चिरान के व्यापार का लोक हित में विनियमन करने के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम है। अधिसूचना क्रमांक 3415–x–3–83 दिनांक 15 दिसम्बर 1983 द्वारा अध्यादेश क्रमांक 11/1983 प्रवृत किया गया था जिसका स्थान मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 13/1984 ने ग्रहण किया। अधिनियम क्रमांक 13/1984 को भूतलक्षी प्रभाव देकर 15 दिसम्बर, 1983 से ही प्रवृत किया गया।

4. **वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (क्रमांक 69/1980)** – यह अधिनियम वनों के संरक्षण के लिये और उससे जुड़े मामलों के लिए या उसके सहायक या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम है। यह अधिनियम 25 अक्टूबर, 1980 से प्रभावशील है।

5. **म.प्र.वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (कमांक 9/1969)** – यह अधिनियम **''विनिर्दिष्ट वनोपज''** के व्यापार विनियमन हेतु है, जो 01 नवम्बर, 1969 से प्रभावशील है।

6. **म.प्र. तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 (क्रमांक 29/1964)** – यह अधिनियम तेंदूपत्ता के व्यापार को लोकहित में विनियमन करके और तदर्थ उस व्यापार में राज्य का एकाधिकार उत्पन्न करने हेतु उपबंध करने हेतु है। यह अधिनियम 28 नवम्बर, 1964 से प्रभावशील है।

7. **म.प्र. वन भूमि शाश्वत पट्टा प्रतिसंहरण अधिनियम, 1973** – उक्त अधिनियम मध्य प्रदेश में वन भूमि के समस्त शाश्वत पट्टों का प्रतिसंहरण करने तथा उससे संबंधित विषयों के लिये है। यह अधिनिमय 01 अक्टूबर, 1973 से प्रभावशील है।

8. **म.प्र. लोक वानिकी अधिनियम, 2001 (क्रमांक 10/ 2001)** – यह अधिनियम मध्य प्रदेश राज्य में निजी और राजस्व वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों के प्रबंधन तथा उससे संसक्त या उससे आनुषंगिक विषयों को विनियमित करने और सुगम बनाने हेतु है। यह अधिनियम 12 अप्रैल, 2001 से प्रभावशील है।

9. **जैवविविधता अधिनियम, 2002 (क्रमांक 18/2003)** – यह अधिनियम जैविक संसाधनों और/या सहयुक्त पारंपरिक जानकारी तथा अनुसंधान या जैव सर्वेक्षण तक पहुंच की प्रक्रिया और अनुसंधान के लिए जैव उपयोग हेतु है। यह अधिनियम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 21, नवंबर, 2014 से संशोधित होकर दिनांक 21, नवंबर, 2014 से प्रभावशील है।

10. **म. प्र. आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999** – आदिम जनजातियों को शोषण से बचाने की दृष्टि से उसके खेतों पर खडे हुये वृक्षों में उनके हित का संरक्षण करने के लिये मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम 1999 बनाया गया है, जो 24 अप्रैल 1999 से प्रभावशील है।

अध्याय–दो

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)

1.4 विभागीय संरचना

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं के कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं तथा दिशा–निर्देश देते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के कार्यालय के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक तथा उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी विभिन्न शाखाओं के कार्यों का संपादन करते हैं।

मुख्यालय स्तर पर कार्यरत शाखाएं

▪ समन्वय	▪ वन भू–अभिलेख
▪ प्रशासन – एक	▪ कार्य आयोजना
▪ प्रशासन – दो	▪ वन्यप्राणी प्रबंधन
▪ विकास	▪ सतर्कता एवं शिकायत
▪ संरक्षण	▪ प्रोजेक्ट्स
▪ उत्पादन	▪ भू–प्रबंध
▪ सूचना प्रौद्योगिकी	▪ मानव संसाधन विकास
▪ अनुसंधान, विस्तार एवं लोक वानिकी	▪ संयुक्त वन प्रबंधन
▪ वित्त एवं बजट	▪ नीति विश्लेषण
▪ सामुदायिक वन प्रबंधन परियोजना	▪ कैम्पा
▪ निगरानी एवं मूल्यांकन	▪ ग्रीन इंडिया मिशन

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक मुख्यालय में विभिन्न शाखाओं से संबंधित कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक के प्रशासकीय नियंत्रण में सम्पन्न करते हैं। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश संवर्ग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (जैव विविधता संरक्षण एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक) का पद स्वीकृत किया गया है, जिनके नियंत्रण में मध्य प्रदेश के समस्त वन्यप्राणी संरक्षण क्षेत्र आते हैं। वे वन्यप्राणी प्रबंधन एवं संरक्षण से संबंधी समस्त तकनीकी विषयों को सीधे नियंत्रित करते हैं, साथ ही प्रदेश के विभिन्न वन्यप्राणी एवं क्षेत्रीय वनमण्डलों के अंतर्गत वन्यप्राणी प्रबंधन एवं संरक्षण से संबंधित विषयों को क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। इसी प्रकार भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना क्रमांक 16016/03/2008–AIS–।। (A) दिनांक 26.08.2008 से प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू अभिलेख) का पद स्वीकृत है, जिनके कार्यक्षेत्र में कार्य आयोजना के साथ–साथ वन भू–अभिलेख शाखा के कार्य आते हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वानिकी से संबद्ध विषयों हेतु शासन के तकनीकी सलाहकार होते हैं। विभाग से संबंधित मुद्दों को जिसमें राज्य शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित होती है, उनके द्वारा शासन के संज्ञान में लाया जाता है। इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवा एवं अधीनस्थ वन सेवा से संबंधित समस्त तकनीकी एवं प्रशासनिक मामले भी आवश्यकतानुसार शासन के संज्ञान में लाये जाते हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख कार्य आयोजना क्रियान्वयन, अग्नि सुरक्षा एवं वन वर्धनिक कार्यों जैसे तकनीकी विषयों, लिपिकीय एवं अधीनस्थ कार्यपालिक स्थापना से संबंधित विषयों पर विभाग प्रमुख के रूप में उन्हें प्रत्यायोजित अधिकारों तथा वित्तीय अधिकारों के विषय में अपनी स्वयं की अधिकारिता में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।

वानिकी विषयों के संबंध में राज्य शासन के प्रधान सलाहकार की भूमिका के साथ–साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख की विभागीय कार्यों के प्रभावी नियंत्रण हेतु वन क्षेत्रों के निरीक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है।

1.4.1 अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय

वन क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंधन और वन संसाधन का संरक्षण व संवर्द्धन क्षेत्रीय स्तर पर गठित प्रशासनिक इकाईयों के माध्यम से किया जाता है। क्षेत्रीय इकाईयों का विवरण तालिका क्रमांक 1.1 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक– 1.1

क्षेत्रीय इकाईयों का विवरण

इकाईयों का प्रकार	इकाई संख्या
वृत्त	16
वनमंडल	63
उपवनमंडल	135
परिक्षेत्र	473
उप वन परिक्षेत्र	1871
परिसर	8286

परिसर रक्षक अपने प्रभार के परिसर में समस्त वन वर्द्धनिक एवं विकास कार्यों का क्रियान्वयन तथा वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। परिक्षेत्र सहायक अपने उप वनपरिक्षेत्र के प्रभार अन्तर्गत परिसरों में समस्त वन वर्द्धनिक एवं विकास कार्यों के क्रियान्वयन का नियमित तकनीकी पर्यवेक्षण तथा वन एवं वन्यप्राणियों का संरक्षण सुनिश्चित करते हैं। वन परिक्षेत्र अधिकारी अपने परिक्षेत्र में कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार समस्त क्षेत्रीय वन वर्द्धनिक कार्यों का निष्पादन, वन एवं वन्यप्राणियों का संरक्षण तथा विभागीय क्षेत्रीय विकास कार्यों का संपादन करवाते हैं और इस हेतु किये गये व्यय का लेखा संधारित करते हैं। परिक्षेत्राधिकारी काष्ठगार अधिकारी के रूप में काष्ठागारों में वनोपज की सुरक्षा व्यवस्था एवं विक्रय हेतु प्रबंधन के लिये उत्तरदायी होते हैं।

उपवनमंडलाधिकारी एक या अधिक परिक्षेत्रों से निर्मित क्षेत्रीय इकाई (उपमंडल) के प्रभारी होते है। उपवनमंडलाधिकारी की वन अपराधों के प्रशमन एवं वन अपराध में प्रयुक्त वनोपज, उपकरण, वाहन इत्यादि के राजसात में वन अधिनियमों के अन्तर्गत प्रभावी भूमिका है। उपमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) को उनके उपवनमंडल क्षेत्राधीन वन राजस्व की वसूली हेतु तहसीलदार की शक्ति मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के तहत दी गई है। कार्य आयोजना अन्तर्गत कूपों का चिन्हांकन, सीमाकंन एवं उपचार मानचित्रों का सत्यापन उपवनमंडलाधिकारी द्वारा किया जाता है।

वनमंडलाधिकारी वनमंडल अन्तर्गत वनों एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण, संवर्द्धन, प्रबंधन एवं वित्तीय नियंत्रण हेतु भारसाधक अधिकारी हैं। उनके द्वारा वनमंडल में वनवर्धनिक रूप से उत्पादित काष्ठीय एवं अकाष्ठीय वनोपज का विपणन, निस्तार आपूर्ति, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों एवं वनग्रामों का प्रबंधन किया जाता है।

वन वृत्तों के भारसाधक अधिकारी के रूप में मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त के अंतर्गत समस्त वनमंडलों के क्रियाकलाप, जिसमें कार्य आयोजना का क्रियान्वयन भी शामिल है, पर आवश्यकता अनुसार दिशा– निर्देश देने के दायित्व का निर्वाहन करते हैं।

प्रदेश में वनों की उत्पादकता बढाने एवं वनक्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण हेतु प्रदेश के 11 कृषि जलवायु प्रक्षेत्रों में एक–एक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त स्थापित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में कार्य आयोजना के पुनरीक्षण कार्य हेतु 3 कार्य आयोजना (ऑचलिक) तथा 16 कार्य आयोजना इकाईयों की स्थापना की गई है। कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार कूपों से वनोपज के विदोहन एवं विक्रय काष्ठागारों के माध्यम से विक्रय हेतु 11 उत्पादन वनमंडलों एव विक्रय इकाई की स्थापना की गई है। इन इकाईयों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** पर है।

1.4.2 स्थापना

प्रशासन–1 शाखा वन विभाग की अत्यन्त महत्वपूर्ण शाखा है। इस शाखा का सीधा एवं जीवंत सम्पर्क प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख से रहता है। साथ ही शासन के वरिष्ठतम कार्यालय से तथा प्रदेश के विभन्न विभागों से हमेशा सम्पर्क बना रहता है।

शाखा में भारतीय वन सेवा के संवर्ग प्रबंधन, वरिष्ठ वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान, पदोन्नतियॉ, पदस्थितियॉ/स्थानांतरण संवर्ग के अधिकारियों के न्यायालयीन प्रकरण एवं विभागीय जांच, आदि से संबंधित कार्य किये जाते है।

इसी प्रकार शाखा द्वारा राज्य वन सेवा संवर्ग एवं राज्य वन संबंद्ध सेवा का प्रबंधन, वरिष्ठ वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान, स्थाईकरण, राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में पदोन्नति पदस्थिति/ स्थानांतरण, गोपनीय प्रतिवेदनों का संधारण, न्यायालयीन प्रकरण एवं विभागीय जांच से संबंधित समस्त कार्य किये जाते है।

इसके अतिरिक्त शाखा के पेंशन कक्ष द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारियों के पेंशन प्रकरण तैयार करना तथा प्रदेश के समस्त सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों के पेंशन से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

प्रशासकीय संरचना

(अ) भारतीय वन सेवा

भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना क्रमांक 16016/02/2014 ए.आई.एस.–दो (क) दिनांक 02 जुलाई, 2015 द्वारा मध्यप्रदेश संवर्ग के भारतीय वन सेवा अधिकारियों का संवर्ग पुनरीक्षण किया गया है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 3–26/2012/10–4 दिनांक 01.08.15 से संवर्ग पुनरीक्षण अनुसार नवीन संवर्ग पदों के विरूद्ध दो पद राज्य शासन द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के स्वीकृत किये गये, जिनमें से एक पद विशेष प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) एवं एक पद प्रधान मुख्य वनं सरक्षक (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) स्वीकृत

किया गया है। इसी प्रकार अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के भी दो पद स्वीकृत किये गये हैं।

भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के प्रमुख प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के रूप में पदस्थ रहते हैं। इनका कार्य वन बल को नियंत्रित करना एवं राज्य शासन को तकनीकी विषयों में सहयोग देना है। वन विभाग के मुख्यालय में विभिन्न शाखाओं में प्रधान मुख्य वन संरक्षक से लेकर उप वन संरक्षक तक के अधिकारी पदस्थ रहते हैं जो तकनीकी विषयों में कार्य सम्पादित करते हैं।

क्षेत्रीय पदस्थापना में मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी पदस्थ रहते हैं जो वन वृत्त में स्थित वन मण्डल कार्यालयों (क्षेत्रीय/उत्पादन) पर नियन्त्रण रखते हैं।

मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी जो अनुसंधान विस्तार वृत्तों में पदस्थ हैं, उनके द्वारा वृत्त के अन्तर्गत आने वाली वन रोपणियों आदि के कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं।

कार्य आयोजना इकाईयों में वन संरक्षक स्तर के अधिकारी पदस्थ रहतें हैं जो वनमण्डलों हेतु दस वर्षीय कार्य आयोजना तैयार करते हैं।

क्षेत्रीय वनमण्डलों में पदस्थ वनमण्डलाधिकारियों द्वारा वन क्षेत्रों की सुरक्षा तथा वन क्षेत्रों में विकास कार्यों के दायित्व का निर्वहन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त भारतीय वन सेवा के अधिकारी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ, म.प्र. राज्य वन विकास निगम, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, ईको पर्यटन विकास बोर्ड, म.प्र. राज्य जैव विविधता बोर्ड, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर एवं बाँस मिशन आदि संस्थानो में पदस्थ रहतें हैं। जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.2 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक –1.2

भारतीय वन सेवा (मध्यप्रदेश संवर्ग) की पदस्थिति

(01.01.2021 की स्थिति में)

पद	संख्या	कार्यरत	
		पदों के विरूद्ध	लीव रिजर्व/असंवर्गीय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)	01	01	-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक	04	04	01 (विशेष प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा) 01 (विशेष प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	25	25	-
मुख्य वन संरक्षक	51	24	-
वन संरक्षक	40	11	-
उप वन संरक्षक	59	74	04
कुल वरिष्ठ पद	**180**	**139**	**-**
केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	36	11	-

राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व	45	30	-
प्रशिक्षण रिजर्व	06	-	-
लीव रिजर्व तथा कनिष्ठ पद रिजर्व (परिवीक्षाधीन)	29	10	-
अन्तर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति	-	01	-
निलंबित	-	02	-
कुल प्राधिकृत संख्या	**296**	**193**	**06**

(ब) राज्य वन सेवा

राज्य वन सेवा के अधिकारी उप वनमण्डलाधिकारी/सहायक वन संरक्षक के पदों पर कार्यरत हैं। ये अधिकारी क्षेत्रीय वनमण्डलों में उप वनमण्डल स्तर पर, टाइगर रिजर्व/राष्ट्रीय उद्यानों/ अभ्यारण्यों में सहायक संचालक एवं उत्पादन एवं अनुसंधान विस्तर वृत्तों में सहायक वन सरंक्षक के रूप में कार्य करते हैं। ये अधिकारी वनमण्डलाधिकारी को क्षेत्रीय कार्य सम्पादन में सहयोग प्रदान करते हैं तथा क्षेत्र में प्रशासकीय नियन्त्रण बनाये रखते हैं। राज्य वन सेवा के लिये स्वीकृत पदों तथा उनके विरूद्ध कार्यरत अधिकारियों के पदों की स्थिति तालिका क्रमांक 1.3 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक– 1.3

राज्य वन सेवा की पदस्थिति

(01.01.2021 की स्थिति में)

क्र.	संवर्ग का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त
1.	राज्य वन सेवा 'अ' – विभाग में कार्यरत	359	274	85
	'ब' – प्रतिनियुक्ति पर	90	22	68
	योग	**449**	**296**	**153**

(स) म.प्र. राज्य वन (राजपत्रित) संबद्ध सेवा

इन अधिकारियों द्वारा निम्नानुसार कार्य किये जाते हैः–

(अ) लेखाधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी – ये अधिकारी विभिन्न कार्यालयों में कार्यालय के नियन्त्रण एवं वित्तीय प्रबंधन में सहयोग करते हैं।

(ब) विधिक सलाहकार – विधिक सलाहकार की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति से होती है। इनकी वन विभाग में प्रतिनियुक्ति विधि विभाग द्वारा की जाती है। इनका कार्य न्यायालयीन प्रकरणों में सहयोग प्रदाय करना होता है। वर्तमान में विधिक सलाहकार का पद रिक्त है।

(स) अनुसंधान अधिकारी – वन विभाग में अनुसंधान अधिकारी का एक पद कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला हेतु स्वीकृत है। ये अधिकारी कान्हा टाइगर रिजर्व मण्डला में पदस्थ हैं तथा यह वन्यप्राणी अनुसंधान का कार्य संपादित करते हैं।

(द) प्रचार अधिकारी एवं सहायक संचालक प्रचार– इन अधिकारियों का कार्य वन विभाग की गतिविधियों को विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार करना तथा मीडिया से सतत संपर्क रखना है।

(इ) संचालक बजट/उप संचालक बजट/वित्त अधिकारी – ये अधिकारी म.प्र. राज्य वित्त सेवा से वन विभाग में पदस्थ किये जाते हैं। इनका कार्य वन विभाग में बजट नियंत्रण एवं बजट संबंधी, कार्यों में विभाग को सहयोग प्रदान करना होता है।

(फ) तकनीकी अधिकारी/प्रोग्रामर – ये अधिकारी म.प्र. वन विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं।

(ज) सहायक शल्य चिकित्सक/पशु चिकित्सक – ये अधिकारी म.प्र. राज्य पशु चिकित्सा विभाग से वन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किये जाते हैं। इनके द्वारा वन्यप्राणियों की देख–रेख एवं चिकित्सा का कार्य संपादित किया जाता है। विवरण तालिका 1.4 में दर्शित है:–

तालिका क्रमांक– 1.4

राज्य वन (राजपत्रित) संबद्ध सेवा की पदस्थिति

(01.01.2021 की स्थिति में)

क्र.	संवर्ग का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त
1.	लेखाधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी	20	05	15
2.	विधिक सलाहकार (प्रतिनियुक्ति कोटा)	01	00	01
3.	अनुसंधान अधिकारी प्रोजेक्ट टाईगर कान्हा	01	01	00
4.	प्रचार अधिकारी	01	01	00
5.	संचालक, बजट (प्रतिनियुक्ति कोटा)	01	01	00
6.	उप संचालक, बजट/वित्त अधिकारी (प्रतिनियुक्ति कोटा)	06	02	04
7.	तकनीकी अधिकारी/प्रोग्रामर	01	00	01
8.	सहायक संचालक, प्रचार	01	00	01
9.	सहायक शल्य चिकित्सक (प्रतिनियुक्ति कोटा)	02	01	01
10.	सहायक पशु चिकित्सक अधिकारी (प्रतिनियुक्ति कोटा)	10	10	00
	योग	**44**	**21**	**23**

(द) प्रशासन 1 शाखा में कर्मचारियों एवं अधिनस्थ अधिकारियों को गुणवत्ता में सुधार एवं प्रशासन में कसावट हेतु समय–समय पर आंतरिक कार्यशाला का आयोजन किया जाता है, जिसके परिणाम सुखद प्राप्त हुये हैं।

अधीनस्थ कार्यपालिक सेवाएं

वन विभाग के अधीनस्थ कार्यपालिक पदों के रूप में वनरक्षक, वनपाल, उपवनक्षेत्रपाल एवं वनक्षेत्रपाल के पद स्वीकृत हैं। वन विभाग की सबसे छोटी इकाई परिसर रक्षक के पद पर वनरक्षक कार्य करते हैं। इनका प्रशासकीय नियंत्रण परिक्षेत्र सहायक करते हैं जो वनपाल/उप वनक्षेत्रपाल स्तर के कर्मचारी हैं। परिक्षेत्र सहायक वनपरिक्षेत्राधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं, जो वनक्षेत्रपाल स्तर के अधिकारी हैं। इन

सभी का मुख्य कार्य अपने क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त वनवर्धनिक एवं विकास कार्य का क्रियान्वयन तथा वन एवं वन्यप्राणी की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अधीनस्थ कार्यपालिक सेवाओं के स्वीकृत पदों का विवरण तालिका क्रमांक 1.5 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक– 1.5

अधीनस्थ कार्यपालिक सेवाओं की पदस्थिति

(दिसम्बर 2020 की स्थिति में)

क्रमांक	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	वनरक्षक	14024	12517	1507
2	वनपाल	4194	2804	1390
3	उप वन क्षेत्रपाल	1258	641	617
4	वन क्षेत्रपाल	1194	836	358
योग		**20670**	**16798**	**3872**

लिपिकीय सेवाएं

वन विभाग के अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों में पदस्थ लिपिकीय सेवाओं के लिए स्वीकृत पदों का विवरण **तालिका क्रमांक 1.6** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक– 1.6

लिपिकीय सेवाओं की पदस्थिति

(दिसम्बर 2020 की स्थिति में)

क्रमांक	पद	स्वीकृति	कार्यरत	रिक्त
1	सहायक ग्रेड–3	1487	1242	245
2	सहायक ग्रेड–2	379	245	134
3	लेखापाल	244	180	64
4	सहायक ग्रेड–1	192	84	108
5	लेखा अधीक्षक	75	43	32
6	अधीक्षक	35	18	17
7	वरिष्ठ निज सहायक	15	02	13
8	निज सहायक	45	24	21
9	शीघ्रलेखक	80	63	17
10	स्टेनो टायपिस्ट	57	20	37
11	मानचित्रकार	203	188	15
योग		**2812**	**2109**	**703**

चतुर्थ श्रेणी सेवाएं

वन विभाग के अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का विवरण तालिका क्रमांक 1.7 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक– 1.7

चतुर्थ श्रेणी सेवाओं की पदस्थिति

(दिसम्बर 2020 की स्थिति में)

क्रमांक	पद	स्वीकृति	कार्यरत	रिक्त
1	सुपरवाईजर	20	09	11
2	दफ्तरी	195	96	99
3	भृत्य/अर्दली/खलासी/फर्रास	950	722	228
योग		**1165**	**827**	**338**

विविध

वन विभाग के अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों के लिए स्वीकृत अन्य विविध पदों का विवरण तालिका क्रमांक 1.8 एवं 1.9 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक –1.8

विविध पदों की पदस्थिति

(दिसम्बर 2020 की स्थिति में)

क्रमांक	पद	स्वीकृति	कार्यरत	रिक्त
1	वाहन चालक	613	327	286
2	मुख्य महावत	14	03	11
3	महावत	35	14	21
4	सहायक महावत (चतुर्थ श्रेणी)	49	31	18
योग		**711**	**375**	**336**

अनुकम्पा नियुक्ति

तालिका क्रमांक – 1.9

अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण

(दिसम्बर 2020 की स्थिति में)

विवरण 2016		वर्ष				
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
प्रकरण संख्या		109	40	138	132	143
निराकृत (नियुक्ति)		91	22	76	53	51
अमान्य प्रकरण		07	05	08	0	0
लंबित प्रकरण	कलेक्टर स्तर पर	06	03	13	73	19
	प्रक्रियाधीन (शासन/मुख्यालय/ वृत्त/ व.म.अ./आवेदक)	05	10	41	06	73
		11	**13**	**54**	**79**	**92**

दिनांक 05.08.2016 से अनुकम्पा नियुक्ति हेतु मुख्य वन संरक्षक/व.म.अ. को जिले में रिक्त पदों पर नियुक्ति के अधिकार दिये गये हैं ।

दैनिक वेतन भोगी

वन विभाग में दैनिक वेतन भोगी श्रमिक कार्यरत थे जिनकी संख्या प्रदेश स्तर पर 6867 थी सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के अनुपालन में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों में से 6716 को स्थाई कर्मी किया जाकर उनका वेतन निर्धारण किया गया है।

1.4.3 सतर्कता एवं शिकायत

वन बल प्रमुख के अधीन सतर्कता एवं शिकायत शाखा समस्त स्तर से प्राप्त शिकायतों की जांच एवं अनुवर्ती कार्रवाई करती है। परिक्षेत्र अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं परिक्षेत्र अधिकारी, लिपिकीय कर्मचारी एवं अधीनस्थ कार्यपालिक कर्मचारी के विरूद्ध अपील प्रकरणों का निराकरण का दायित्व सर्तकता एवं शिकायत शाखा का है जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.10 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक – 1.10

लंबित एवं निराकृत प्रकरणों की जानकारी

(1 अप्रैल–2020 से 31 दिसम्बर–2020 की स्थिति में)

विभागीय जॉच, आरोप ज्ञापन एवं अपील/पुनर्विलोकन प्रकरण

प्रकरण का विवरण	पूर्व शेष	1 अप्रैल 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक प्राप्त प्रकरण	कुल प्रकरण	1 अप्रैल 2020 से 31 दिसम्बर तक निराकृत/ शासन को प्रेषित प्रकरण	1 जनवरी 2021 की स्थिति में लंबित प्रकरण
विभागीय जांच प्रकरण	20	08	28	6/3 (09)	19
आरोप ज्ञापन प्रकरण	13	06	19	05	14
अपील/पुनर्विलोकन प्रकरण	72	16	88	31	57

1.4.4 मानव संसाधन विकास

प्रदेश के वन बल को अनुशासित एवं व्यवसायिक रुप से वन प्रबंध में दक्ष करने के लिये वन विभाग प्रतिबद्ध है। यह अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण से संभव है। क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती उपरान्त व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं सेवारत प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। इस हेतु मध्य प्रदेश वन विभाग के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख कार्यालय की मानव संसाधन विकास शाखा के निर्देशन एवं प्रशासन में प्रदेश में 9 प्रशिक्षण संस्थान (वन विद्यालय) निम्नानुसार संचालित हैं जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.11 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक – 1.11

क्र.	वन विद्यालय	नियंत्रणकर्ता अधिकारी	क्षमता
1	वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट	प्राचार्य, वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय	125
2	वन विद्यालय, अमरकंटक	संचालक, वन विद्यालय, अमरकंटक	125
3	वन विद्यालय, बैतूल	संचालक, वन विद्यालय, बैतूल	125
4	वन विद्यालय, शिवपुरी	संचालक, वन विद्यालय, शिवपुरी	125
5	वन विद्यालय, गोविन्दगढ़	वनमंडलाधिकारी, रीवा क्षेत्रीय व.मं.	80
6	वन विद्यालय, झाबुआ	वनमंडलाधिकारी, झाबुआ क्षे. व.मं.	50
7	राजीव गांधी सहभागी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, लखनादौन	वनमंडलाधिकारी, उत्तर सिवनी क्षे. व.मं.	125
8	इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षण शाला, पचमढ़ी (जिला–होशंगाबाद)	उप संचालक, सतपुड़ा टा.रि., पचमढ़ी	50
9	जैव विविधता प्रशिक्षण केन्द्र, ताला	उप संचालक, बांधवगढ़ टा.रि., उमरिया	50

1.4.5 नीति विश्लेषण

मध्यप्रदेश फॉरेस्ट मैन्युअल के पुनरीक्षण हेतु विभाग द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल को सौंपा गया जिसका अनुमोदन प्राप्त हो गया है

1.4.6 संयुक्त वन प्रबंधन

राष्ट्रीय वन नीति के अनुसरण में वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु जन सहयोग प्राप्त करने के लिए

वनों एवं उनके आसपास निवास करने वाले समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन हेतु संकल्प दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, जिसमें तीन प्रकार की संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के गठन का प्रावधान है :–

(1) **वन सुरक्षा समिति** – सघन वनक्षेत्रों में वनखंड सीमा की 5 किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में गठित की जाने वाली संयुक्त वन प्रबंधन समिति को **"वन सुरक्षा समिति"** कहा जाता है। वन सुरक्षा समिति सघन वन क्षेत्रों में अवैध कटाई, चराई एवं अग्नि से क्षेत्र की सुरक्षा करती है तथा इसकी एवज में उन्हें आवंटित क्षेत्र से समस्त लघु वनोपज, रॉयल्टी मुक्त निस्तार एवं काष्ठ विदोहन 20 प्रतिशत लाभांश प्राप्त होता है।

(2) **ग्राम वन समिति** – बिगड़े वन क्षेत्रों में वनखंड की सीमा से पांच किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में गठित की जाने वाली समिति को **"ग्राम वन समिति"** कहा जाता है। ग्राम वन समिति के सहयोग से पुनर्स्थापित होने पर आवंटित वन क्षेत्र से प्राप्त होने वाली समस्त लघु वनोपज एवं काष्ठ अनुपातिक विदोहन व्यय घटाकर ग्राम वन समिति को प्रदाय करने का प्रावधान है।

(3) **ईको विकास समिति** – जैव विविधता के संरक्षण हेतु गठित राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य बफर क्षेत्रों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित ग्रामों में **"इको विकास समिति"** गठित करने का प्रावधान है। इन समितियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान का कार्य इको विकास कार्यक्रम के तहत किया जाता है।

संकल्प के अनुसार ग्रामसभा स्तर पर वन प्रबंधन में जुड़ने के लिए मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा–6 के अंतर्गत तथा मध्य प्रदेश ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम 2001 में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार ग्राम सभा की बैठक आयोजित करके, वन क्षेत्र की स्थिति के अनुसार, संयुक्त वन प्रबंधन समिति का 5 वर्ष की अवधि के लिए गठन किया जाता है। अध्यक्ष पद के एक तिहाई पद महिलाओं हेतु आरक्षित किये गये हैं। साथ ही अध्यक्ष/उपाध्यक्ष में से एक पद पर महिला का होना अनिवार्य किया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का प्रतिनिधित्व, यथासंभव, ग्रामसभा में इनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा तथा कार्यकारिणी में न्यूनतम 33 प्रतिशत महिलाएं होंगी। प्रदेश में वन समितियों की कुल संख्या 15,608 हैं, जिनके द्वारा 36520 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्रों का प्रबंधन किया जा रहा है, जिसका विवरण तालिका क्रमांक– 1.12 **में** दर्शित है।

तालिका क्रमांक – 1.12

समितियों एवं कार्यों का विवरण

समिति का प्रकार	समितियों की संख्या	प्रबंधित क्षेत्र
ग्राम वन समिति	9784	37799 वर्ग कि.मी.
वन सुरक्षा समिति	4773	3625 वर्ग कि.मी.
ईको विकास समिति	1051	5529 वर्ग कि.मी.
योग–	**15608**	**46953 वर्ग कि.मी.**

1. **काष्ठ एवं बांस विदोहन का लाभांश वितरण –**

- **काष्ठ का लाभांश** – जिला स्तर पर काष्ठ विदोहन से हुए शुद्ध लाभ का 20 प्रतिशत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को प्रदाय किया जाता है।
- **बांस का लाभांश** – प्रदेश में बांस कटाई में संलग्न श्रमिकों को बांस विदोहन से प्राप्त शुद्ध लाभ की राशि का शत–प्रतिशत वितरण किया जाता है। विगत पांच वर्षो मे लाभांश वितरण का विवरण तालिका क्रमांक 1.13 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक – 1.13

विगत 03 वर्षों के लाभांश वितरण का विवरण

लाभांश प्रदाय वर्ष	काष्ठ लाभांश (राशि रू. करोड़ में)	बांस लाभांश (राशि रू. करोड़ में)	कुल लाभांश (राशि रू. करोड़ में)
2017–18	52.58	0.51	53.09
2018–19	19.18	0	19.18
2019–20	22.56	11.39	33.95

2. गौशाला परियोजना का क्रियान्वयन –

राज्य शासन के आदेश क्रमांक/एफ–16–04/2019/10–2 दिनांक 17.06.2019 से 78 गौशाला निर्माण हेतु राशि रूपये 30.00 लाख प्रति गौशाला के दर से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। लघु वनोपज संघ के विकास मद से प्राप्त ब्याज की राशि में से 50 गौशालाओं हेतु राशि रूपये 15.00 करोड़ प्रदान की गई है। राशि वनमंडलों को उपलब्ध करा दी गई है, जिसके विरूद्ध दिसम्बर 2020 के अन्त तक राशि रूपये 195.54 लाख व्यय की जा चुकी है। गौशाला निर्माण कार्य प्रगति पर है।

1.4.7 ग्रीन इण्डिया मिशन

मध्य प्रदेश की योजना

जलवायु परिवर्तन की महत्ता के मद्देनजर मध्यप्रदेश के द्वारा नेशलन मिशन फॉर ग्रीन इंडिया के तहत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक परियोजना क्रियान्वयन इकाई का गठन किया गया है। इकाई द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर 5 वर्षीय दीर्घकालीन योजना तैयार की गई है। इसमें प्रदेश के वनों को आठ विभिन्न लैंडस्केप (परिदृश्यों) में बांटा जा कर जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से अतिसंवेदनशील, संवेदनशील एवं कम संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है विवरण तालिका क्रमांक 1.14 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक – 1.14

ग्रीन इंडिया मिशन के तहत उपचार हेतु अतिसंवेदनशील लैण्डस्केप के चयन का आधार

(एपको, भोपाल व इंडियन इन्सट्टीट्यूट ऑफ साइन्स बैंगलौर के अनुसार)

अनु.क्र.	जिला	वनमण्डल	लैण्डस्केप का अतिसंवेदनशीलता वर्ग
1	सतना	सतना	अल्प एवं दीर्घ परिदृश्यों में वनावरण परिवर्तन के प्रति अतिसंवेदनशीलता (आई.आई.एस.सी के अनुसार) एवं उच्च संयुक्त अतिसंवेदनशीलता (एपको के अनुसार)
2	बालाघाट	दक्षिण बालाघाट	
3	बैतूल	पश्चिम बैतूल	
4	धार	धार	
5	झाबुआ	झाबुआ	
6	बड़वानी	बड़वानी	
7	बड़वानी	सेंधवा	
8	पन्ना	दक्षिण पन्ना	
9	श्योपुर	श्योपुर	
10	शिवपुरी	शिवपुरी	
11	उमरिया	उमरिया	उच्च संयुक्त अतिसंवेदनशीलता (एपको के अनुसार)
12	होशंगाबाद	होशंगाबाद	दीर्घ परिदृश्य एवं में वनावरण परिवर्तन के प्रति अतिसंवेदनशीलता (आईआईएससी के अनुसार) एवं वर्तमान, शताब्दी मध्य एवं शताब्दी अंत की स्थिति में अल्प संयुक्त अतिसंवेदनशीलता (एपको के अनुसार)
13	सिवनी	दक्षिण सिवनी	दीर्घ परिदृश्य एवं में वनावरण परिवर्तन के प्रति अतिसंवेदनशीलता (आईआईएससी के अनुसार), मध्य एवं शताब्दी अंत की स्थिति में उच्च संयुक्त अतिसंवेदनशीलता (एपको के अनुसार)
14	बैतूल	उत्तर बैतूल	लघु एवं दीर्घ परिदृश्य में वनावरण परिवर्तन के प्रति अतिसंवेदनशीलता (आईआईएससी के अनुसार), मध्य एवं शताब्दी अंत की स्थिति में उच्च संयुक्त अतिसंवेदनशीलता (एपको के अनुसार
15	रायसेन	रायसेन	मध्य संयुक्त अतिसंवेदनशीलता (एपको के अनुसार) मध्य एवं अंत शताब्दी एवं बेसलाईन (एपको के अनुसार)
16	रायसेन	औबेदुल्लागंज	
17	सीहोर	सीहोर	उच्च संयुक्त अतिसंवेदनशीलता (एपको के अनुसार), मध्य एवं अंत शताब्दी एवं बेसलाईन (एपको के अनुसार)
18	सागर	दक्षिण सागर	उच्च संयुक्त अतिसंवेदनशीलता (एपको के अनुसार), मध्य एवं अंत शताब्दी एवं बेसलाईन (एपको के अनुसार)

ग्रीन इंडिया मिशन के क्रियावंयन हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त राशि एवं उपयोग की गई राशि का विवरण तालिका क्रमांक 1.15 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक – 1.15

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का स्वीकृति दिनांक एवं विमुक्त राशि (राशि लाख में)	प्राप्त राशि लाख में			प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र	
	केन्द्रांश	राज्यांश	योग	उपयोग में ली गई राशि	रिमार्क
10.09.2018 –1022.497	1022.497	681.664	1704.161	1626.04	–
30.03.2019 –1393.00	1393.00	0	1393.00	0	वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नही होने से राशि आहरित नही की जा सकी।
07.06.2019 –1532.35	1532.35	1021.69	2554.23	3293.52	राशि रूपये 1532.35 लाख रिवेलिडेट की गई।
13.12.2019 –3065.298	1560.43	1040.29	2600.72		एपीओ वर्ष 2019–20 की प्रथम किश्त की राशि 3065.298 विमुक्त की गई
26.06.2020 –2621.721	1392.00	928.00	2000.00	2349.31	राशि रूपये 2621.712 लाख रिवेलिडेट की गई।

1.4.8 निगरानी एवं मूल्यांकन

निगरानी एवं मूल्यांकन शाखा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश के अधीन कार्य करती है। मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा राज्य में किये गए वृक्षारोपण कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण करने हेतु विभाग की सूचना एवं प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली का विकास किया गया है। वर्तमान में निगरानी एवं मूल्यांकन शाखा द्वारा वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के माध्यम से संपूर्ण राज्य में मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा किये गये वृक्षारोपण कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मुख्यालय स्तर से किया जा रहा है।

वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली की मुख्य विशेषताएंः

1. यूज़र फ्रेंडली डैशबोर्ड जो कि विभिन्न मापदंडों की स्थिति को दर्शाता है, जैसेः वनमंडल स्तर से अनुमोदन, प्रतिवर्ष माह मई एवं अक्टूबर सत्र के मूल्यांकन एवं जिओमैपिंग आदि की स्थिति ।
2. वृक्षारोपण कार्यों के वनमडल स्तर से अनुमोदन, मूल्यांकन, व्यय एवं जिओमैपिंग आदि की विस्तृत रिपोर्ट।
3. मुख्यालय स्तर से बेहतर अनुश्रवण हेतु एकीकृत जिओ–पोर्टल, जिसके माध्यम से वृक्षारोपण क्षेत्र की सीमा के अतिरिक्त Satellite Imagery को देख सकते हैं।

4. चार स्तरों अर्थात् मुख्यालय, वन वृत्त, वनमंडल एवं परिक्षेत्र में अधिकारों का प्रतिनिधान के साथ ही मुख्यालय स्तर पर एकीकृत डाटा सेंटर।

5. कार्यप्रवाह आधारित पारदर्शी प्रणाली।

6. प्रणाली Public Domain में है एवं आमजन द्वारा इसका अवलोकन किया जा सकता है।

शाखा के मुख्य कार्य:

1. प्रणाली में जानकारी को अद्यतन रखने हेतु समस्त जानकारियां नियमित रूप से प्रविष्ट करने के लिए मुख्य वन संरक्षकों एवं वनमंडल अधिकारिओं को निरंतर उनके क्षेत्र की स्थिति से अवगत कराना।

2. प्रणाली से संबंधित समस्याओं एवं सुझावों जैसेः नवीन रिपोर्ट को जोड़ना, Technical Checks लगाना, वृक्षारोपण पंजीकरण को निरस्त करना आदि के निराकरण हेतु नियमित रूप से सूचना एवं प्रौद्योगिकी शाखा से समन्वय स्थापित रखना।

3. वीडियो कांफ्रेंस एवं क्षेत्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से वृक्षारोपण प्रबंधन को प्रभावी बनाने हेतु प्रयास।

4. वृक्षारोपण कार्यों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन द्वारा प्राप्त परिणामों के आधार पर विभाग को नीतिगत स्तर पर महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करना।

शाखा द्वारा वर्ष 2019 से 2020 में प्रणाली में जानकारी को अद्यतन रखने हेतु किये गये प्रयासों से प्राप्त प्रगति के संक्षिप्त आंकड़ें निम्नानुसार तालिका क्रमांक 1.16 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक – 1.16

S.N.	Particular	Data as on 01-01-2019	Data as on 24-12-2020
1	Total Registered Plantations	18371	21218
2	Total Approved Plantations	18220	21168
3	Total Evaluated Plantations (Atleast Once)	15217	19693
4	Total Geo-Mapped Plantations	13081	20103

1.4.9 अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी

उद्देश्य एवं संरचना

मध्यप्रदेश के वनों की उत्पाादकता बढाने एवं वन क्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण कार्य किया जाकर वनोपज की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रत्येक कृषि जलवायु प्रक्षेत्र में क्रमशः बैतूल, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, खंडवा, रतलाम, रीवा, सागर एवं सिवनी में सामाजिक वानिकी वन वृत्त स्थापित हैं।

अ.वि. वृत्त के अंतर्गत रोपणियों में मानक गुणवत्ता के वानिकी/फलदार/औषधीय/लघु वनोपज/संकटापन्न/विलुप्तप्राय एवं आवश्यकतानुसार क्लोनल/ ग्राफ्टेड पौधे तैयार कर विभागीय वृक्षारोपण एवं अन्य शासकीय/अशासकीय विभागों, संस्थाओं एवं जनसामान्य को रोपण हेतु प्रदाय किया जाते है।

नर्सरी एवं पौधा तैयारी

पौधा तैयारी एवं निवर्तन –

अनुसंधान एवं विस्तार रोपणियों में वर्ष 2021 के रोपण हेतु विभिन्न प्रजातियों के निर्धारत मापदंड के 434.33 लाख पौधे रोपणियों में उपलब्ध है। साथ ही 66 लाख पौधों की तैयारी प्रगति पर है। वर्षा ऋतु 2020 में माह सितंबर तक 342.20 लाख पौधों एवं 50.25 लाख सागौन रूटशूट का निवर्तन रोपणियों से किया गया है।

राजस्व प्राप्ति –

वर्ष 2020 में पौधों के विक्रय से राशि रू. 471.94 लाख राजस्व प्राप्त हुआ है।

संकटापन्न प्रजातियों की तैयारी –

प्रदेश के वनों में जैव विविधता बनाये रखने के लिये अ0वि0 रोपणियों में दुर्लभ एवं विलुप्त प्रजातियों के लगभग 70 लाख पौधे तैयार किये गये जिसमें हल्दू, सलई, धामन, तिनसा, शीशम आदि प्रजातियॉ प्रमुख है।

1.4.10 भू–प्रबंध

वन भूमि व्यपवर्तन

भारत सरकार ने वर्ष 1980 मे वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 लागू किया जिसके अंतर्गत यह प्रावधानित है कि कोई राज्य शासन अथवा वन अधिकारी भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् ही वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु आदेश दे सकेंगे।

इस अधिनियम की धारा–2 के अंतर्गत निम्न प्रावधान हैं:–

''किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी यह निदेश करने वाला कोई आदेश, केन्द्रीय सरकार के पूर्ण अनुमोदन के बिना नहीं देगा :–

(1) कि कोई आरक्षित वन उस राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में ''आरक्षित वन'' पद के अर्थ में या उसका कोई प्रभाग आरक्षित नहीं रह जाएगा :

(2) कि किसी वन भूमि या उसके किसी प्रभाग को किसी वनेत्तर प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए :

(3) कोई वन भूमि या उसका कोई प्रभाग पट्टे पर या अन्यथा किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी प्राधिकरण, निगम, अभिकरण या अन्य संगठन को, जो सरकार के स्वामित्व, प्रबन्ध, नियंत्रण के अधीन नहीं है, समनुदेशित किया जाए

(4) किसी वन भूमि या उसके किसी भाग से, पुर्नवनरोपण के लिए उसका उपयोग करने के प्रयोजन के लिए, उन वन वृक्षों को, जो उस भूमि या प्रभाग में प्राकृतिक रूप से उग आए हैं, काटकर साफ किया जा सकता है।''

वर्ष 1980 से दिसम्बर 2020 तक की अवधि में वन भूमि व्यपवर्तन का गोशवारा विवरण तालिका क्रमांक 1.17 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक – 1.17

उपयोगवार वन भूमि का व्यपवर्तन

क्र.	श्रेणी	व्यपवर्तित वन भूमि				कुल व्यपवर्तित वन भूमि	प्रतिशत
		1980-1990	1991-2000	2001-2010	2011-2020 (Dec)		
1	सिंचाई	62797.147	6308.486	8949.552	5787.100	83842.285	29.505
2	विद्युत	2566.964	487.02	2369.214	3875.243	9298.441	3.283
3	खनिज	4581.680	5677.176	4079.098	6474.972	20812.926	7.324
4	विविध	702.849	4757.334	3168.903	5457.792	14086.878	4.957
5	रक्षा	12458.038	16632.64	6.270	7592.791	36689.739	12.912
6	अतिक्रमण	119401.716	0	0	0	119401.716	42.019
TOTAL		**202508.394**	**33862.656**	**18573.037**	**29187.898**	**284131.985**	**100**

प्रत्यावर्तित वन भूमि का वर्षवार तथा श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट 05 में संलग्न है। वर्ष 2020 में अंतिम स्वीकृति प्राप्त महत्वपूर्ण परियोजनाओं का विवरण परिशिष्ट 06 में संलग्न है।

वन (संरक्षण) अधिनियम लागू होने के पश्चात् से प्राप्त आवेदनों एवं उनके निराकरण की स्थिति निम्नानुसार है विवरण तालिका क्रमांक 1.18 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक – 1.18

(प्रकरणों की संख्या अंकों में)

क्र.	विवरण	वर्ष 2017	वर्ष 2018	वर्ष 2019	वर्ष 2020 (दिसम्बर तक)
1	प्राप्त आवेदन	31	63	77	82
2	स्वीकृत प्रकरण	19	42	20	49
3	अस्वीकृत प्रकरण	07	–	–	–
4	विचाराधीन प्रकरण	224	67	54	34
5	(अ) सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन	82	17	14	13
6	(ब) औपचारिक स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन	142	50	40	21

1.4.11 कैम्पा (CAMPA)
(Compensatory Afforestation Management & Planning Authority)

वित्तीय प्रगति – वनीकरण के अतिरिक्त कैम्पा शाखा से वन्यप्राणी क्षेत्रों के रहवास विकास, वनों के संरक्षण, अद्योसंरचना विकास के कार्य भी किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं वर्ष 2020–21 की वित्तीय प्रगति निम्नानुसार है –

(अ.) वित्तीय वर्ष 2019–20 – वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ए.पी.ओ. के अनुसार किये गये कार्यों मे उपयोग की गई राशि का विवरण तालिका क्रमांक 1.19 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक – 1.19
वित्तीय वर्ष 2019–20

(राशि करोड़ों में)

क्र.	शीर्ष	वर्ष 19–20 में स्वीकृत राशि	उपयोग मे ली गई राशि
1	**2**	**3**	**4**
1	क्षतिपूर्ति (प्रतिपूरक) वृक्षारोपण	145.87	121.66
2	जलग्रहण उपचार क्षेत्र	0.00	0.00
3	वन्यप्राणी प्रबंधन	0.00	0.00
4	शुद्ध वर्तमान मूल्य	296.79	213.78
5	अन्य	0.00	0.00
6	ब्याज की राशि	10.84	7.71
	योग	**453.50**	**343.15**

(ब.) वित्तीय वर्ष 2020–2021 – वित्तीय वर्ष 2020–21 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ए.पी.ओ. में **परिशिष्ट 07**– अनुसार कार्य प्रचलित हैं। वित्त विभाग द्वारा प्रथम चरण मे अनुमोदित कार्यो के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 500.00 करोड़ उपलब्ध कराई गई है। दिसम्बर 2020 की स्थिति में राशि की उपयोगिता निम्नानुसार हैः– विवरण तालिका क्रमांक 1.20 में दर्शित है।

तालिका –1.20

(राशि करोड़ों में)

क्र.	शीर्ष	वर्ष 20–21 में स्वीकृत राशि	उपयोग मे ली गई राशि
1	**2**	**3**	**4**
1	क्षतिपूर्ति (प्रतिपूरक) वृक्षारोपण	156.71	31.74
2	जलग्रहण उपचार क्षेत्र	4.39	3.77
3	वन्यप्राणी प्रबंधन	0.00	0.00
4	शुद्ध वर्तमान मूल्य	693.61	221.42
5	अन्य	0.00	0.00
6	ब्याज की राशि	6.22	0.00
	योग	**860.93**	**256.93**

तालिका क्रमांक – 1.21

प्राधिकरण (कैम्पा) के अंतर्गत वृक्षारोपण

(रकबा हेक्टेयर में)

कमांक	वर्ष	क्षतिपूर्ति रोपण	एन.पी.व्ही. मद से रोपण	1306 मद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति रोपण	योग
1	2	3	4	5	6
1	2017–18	3513.66	0.00	428.53	**3942.19**
2	2018–19	1907.85	0.00	372.88	**2280.73**
3	2019–20	5104.86	13470.76	2206.31	**20781.93**
4	2020–21	4493.98	16526.02	0.00	**21020.00**
योग		**15020.35**	**29996.78**	**3007.72**	**48024.85**

झरौली कक्ष कमांक–412, क्षेत्रफल 50 हे0, वृक्षारोपण वर्ष 2020 दमोह वनमंडल,

1.4.12 सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी तकनीको का उपयोग विभागीय कार्यों में गतिशीलता लाने हेतु किया जा रहा है जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

1. जी.आई.एस. (भौगोलिक सूचना प्रणाली)
2. रिमोट सेंसिंग
3. विभागीय बेबसाईट का उन्नयन
4. मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा एवं वनक्षेत्रपाल स्तर के अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाईन लिखने के सॉफ्टवेयर स्पैरो (SPARROW) का क्रियान्वयन
5. वन विभाग में ई.–टेण्डरिंग एवं सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक क्रय
6. वीडियो कान्फ्रेंस सुविधा
7. विभाग के उपयोगी एप्लीकेशन
8. फारेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम
9. फारेस्ट आफेंस मैनेजमेंट सिस्टम (FOMS)
10. अधिकारी कर्मचारी प्रबंधन प्रणाली
11. प्लान्टेशन मानिटरिंग सिस्टम (PMS)
12. रोपणी प्रबंधन सूचना प्रणाली
13. स्थाई ऑब्जरवेशन प्लाट
14. कान्ट्रेक्टर पंजीयन प्रणाली
15. डिपो पंजीयन प्रबंधन प्रणाली

16. ई–ऑफिस प्रणाली

17. राष्ट्रीय परिवहन अनुज्ञा–पत्र प्रणाली

18. गैर वन–भूमि अनापत्ति प्रमाण पत्र (फारेस्ट ऑनलाइन एन.ओ.सी)

1.4.13 वन संरक्षण

लगातार बढ़ती जा रही आबादी और उसकी आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं में होने वाली सतत् बढ़ोत्तरी के कारण प्रदेश के जैविक संसाधनों विशेषकर वनों, वन भूमि एवं वन्य जीवों का संरक्षण लगातार चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। कृषि हेतु भूमि की बढ़ती भूख के कारण वन क्षेत्रों में अतिक्रमण एक गंभीर समस्या है। कुछ बहुमूल्य प्रजातियों जैसे सागौन, खैर आदि की बाजार में बढ़ती मांग के कारण उनकी अवैध कटाई एवं तस्करी संगठित अपराध का रूप लेने लगी है।

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सदस्यों की सक्रीय भागीदारी, क्षेत्रीय इकाईयों की प्रतिबद्धता तथा स्थानीय जिला एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से वन एवं वन्यजीवों से संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए निरंतर ईमानदार प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके वांछित परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं। विभाग द्वारा विगत चार वर्षों में पंजीबद्ध वन अपराध प्रकरणों का विवरण तालिका क्रमांक 1.22 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक – 1.22

वन अपराधों का विवरण

वन अपराध प्रकरण		**2017**	**2018**	**2019**	**2020 (नवम्बर तक)**
अवैध कटाई के प्रकरण		54545	43808	44892	44798
अवैध चराई के प्रकरण		916	616	662	686
अवैध परिवहन के प्रकरण		1782	1561	1511	1465
अतिक्रमण	प्रकरण संख्या	1344	1134	2167	1677
	नवीन प्रभावित क्षेत्र(हे0)	1376	1973	3245	2087
अवैध उत्खनन	प्रकरण संख्या	1207	888	973	1094
	प्रभावित क्षेत्र (हे0)	1497.02	3109	5371	379
कुल पंजीबद्ध वन अपराध		**67716**	**52909**	**56512**	**52640**
जप्त वाहनों की संख्या		1719	605	1620	1285
न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण		2648	2253	2868	1638 (अंतरिम)
वन अपराध प्रशमन एवं अन्य विविध प्राप्तियाँ (लाख में)		4775.52	4206.01	5605.14	8919.93 (अंतरिम)

उपरोक्त का विवरण परिशिष्ट क्रमांक – 08 से 18 में संलग्न है।

पर्यावरण एवं वनों की सुरक्षा की दृष्टि से काष्ठ के चिरान एवं व्यापार को लोकहित में विनियमित करने के लिये बनाये गये मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दर्ज किये गये वन अपराध प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार तालिका 1.23 में दर्शित है :–

तालिका क्रमांक – 1.23

वर्षवार दर्ज प्रकरण

वन अपराध प्रकरण वर्ष	2017	2018	2019	2020 (नवम्बर)
प्रकरण संख्या	200	138	76	50

वनों की प्रभावी सुरक्षा हेतु क्षेत्रीय कर्मचारियों की गतिशीलता बढ़ाने हेतु पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध कराये गये हैं। अतिसंवेदनशील वनक्षेत्रों में बीट व्यवस्था के स्थान पर सामूहिक गश्ती हेतु वन चौकियों की स्थापना की गई है। वर्ष 2020 की स्थिति में 329 वन चौकियां कार्यरत हैं। प्रत्येक चौकी में गश्ती हेतु शासकीय अथवा अनुबंधित वाहन उपलब्ध कराये गये हैं। परिक्षेत्र स्तर पर 450, वन चौकी हेतु 10 एवं वृत्त स्तरीय उड़नदस्ता दल हेतु 15 वाहन, कुल 475 वाहन अनुबंधित कर उपलब्ध कराये गये हैं।

वन अपराधों पर नियंत्रण एवं त्वरित कार्यवाही हेतु प्रत्येक वन वृत्त में उड़नदस्ता दल कार्यरत हैं। उड़नदस्ता दल में पर्याप्त संख्या में वनकर्मी, शस्त्र एवं वाहन उपलब्ध हैं। ऐसे क्षेत्रों में, जहां संगठित वन अपराधों की संभावना है, विशेष सशस्त्र बल की 3 वाहिनियों, क्रमशः 8 वीं वाहिनी – छिन्दवाड़ा, 15 वीं वाहिनी – इन्दौर तथा 26 वीं वाहिनी – गुना के 221 सशस्त्र अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ हैं जिन्हें 14 संवेदनशील वनमण्डलों में संलग्न किया गया है।

वर्ष 2020 में माह जून तक 28311 प्रकरणों में 1638 अपराधियों के विरूद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किये गये। वन अपराध प्रकरणों से संबंधित वृत्तवार जानकारी परिशिष्ट क्रमांक –15 में संलग्न है।

वर्ष 2020 की विशिष्ट उपलब्धियाँ –

1. राज्य में वन एवं वन्यप्राणी सुरक्षा के लिये संवेदनशील क्षेत्रों में वन भूमि पर अतिक्रमण अवैध वृक्ष कटाई, अवैध उत्खनन एवं अवैध शिकार आदि वन अपराधों में पेशेवर अपराधिक तत्व शामिल रहते हैं, जो वन कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही में बाधा डालने में सक्षम हैं। ऐसे असामाजिक तत्व हथियारों का उपयोग भी करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में वन अपराधियों से आमना–सामना एवं मुठभेड़ होने की अनेक वारदातें होती हैं। वर्ष 2020 में वन अपराध प्रकरणों में कार्यवाही के दौरान वन कर्मियों के कर्तव्य निष्पादन के दौरान उनके ऊपर हमले की 28 घटनायें हुईं जिसमें 41 वन कर्मचारी घायल हुये एवं एक वनरक्षक श्री दीपू राणा वीरगति को प्राप्त हुये।

वन मण्डल सीहोर अंतर्गत अवैध काष्ठ के परिवहन में जप्त वाहन

2. वर्ष 2020 में प्रदेश के वनक्षेत्र से सागौन एवं खैर वृक्षों की अवैध कटाई एवं परिवहन करने वाले अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। गिरोह द्वारा खंडवा, बैतूल, देवास, उज्जैन, होशंगाबाद, हरदा जिले में सागौन एवं शिवपुरी, देवास, सागर जिले मे खैर वृक्षों की अवैध कटाई कर काष्ठ का वाहनों से परिवहन कर गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र आदि राज्यों में विक्रय किया जाता हैं। इन प्रकरणों में 48 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इन अपराध प्रकरणों में लगभग 194 टन अवैध खैर काष्ठ के साथ 09 वाहन जप्त किये गये है। इन प्रकरणों का अन्वेषण वन मण्डल एवं राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है।

शिवपुरी वन मण्डल में खैर काष्ठ के अवैध परिवहन में जप्त वाहन

3. विभागीय अपलेखित वाहनों एवं वन अपराध में अंतिम रूप से राजसात वाहनों के निवर्तन में पारदर्शिता की दृष्टि से ''ई–टेंडरिंग'' की प्रकिया वर्ष 2016 से प्रारम्भ की गई हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से इस वर्ष 43 वाहनों के विक्रय किया गया है जिससे राशि रू 30.13 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है।

1.4.14 उत्पादन

राज्य में मुख्य रूप से सागौन, साल, बांस, तथा अन्य मिश्रित प्रजातियों के वन पाये जाते हैं कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार कूपों से ईमारती लकड़ी, जलाऊ एवं बांस का वन वर्धन के दृष्टिकोण से विदोहन किया जाता है। साथ ही वनों के समीप बसे ग्रामीणों की घरेलु आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आवश्यक निस्तार की व्यवस्था की जाती है। उत्पादन शाखा द्वारा लोकवानिकी तथा मालिक मकबूजा के अन्तर्गत कृषकों द्वारा वन विभाग के डिपो में लाई गई काष्ठ के भुगतान की व्यवस्था भी की जाती है । विगत वर्षों में वन क्षेत्रों से काष्ठ एवं बांस का उत्पादन का विवरण तालिका क्रमांक 1.24 में दर्शित है :–

तालिका क्रमांक – 1.24

काष्ठ, बांस उत्पादन एवं प्राप्त राजस्व

विवरण	विदोहन वर्ष (अक्टूबर से सितम्बर)		
	2017–18	2018–19	2019–20
ईमारती लकड़ी (घ.मी. में)	1,74,352	2,73,365	2,09,210
जलाऊ चट्टें (नग)	1,24,686	1,62,945	1,26,811
बांस (नो.टन)	28,262	34,189	27,106
प्राप्त राजस्व (करोड़ रुपये में) (अन्य स्त्रोतों से प्राप्त राजस्व भी सम्मिलित)	1097.63	1116.29	1036.83

राज्य की वर्तमान पुनरीक्षित निस्तार नीति 10 मार्च 2019 से लागू है। इससे पूर्व यह नीति 01 जुलाई 1996 को पुनरीक्षित की गई थी। इस नीति में निस्तार सुविधा की पात्रता वनों की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में बसे परिवारों को ही दी गई है जिन्हें घरेलु उपयोग के लिये बांस छोटी ईमारती लकड़ी (बल्ली) हल, बक्खर बनाने की लकड़ी तथा जलाऊ लकड़ी रियायती दरों पर दी जाती है। इस हेतु राज्य में 1814 निस्तार डिपो संचालित है। इसके साथ–साथ स्वयं के उपयोग के लिये वनों से सिरबोझ द्वारा गिरी पड़ी, मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी लाने की सुविधा भी पूर्व अनुसार दी जा रही है राज्य में 24058 बसोड़ परिवार पंजीकृत है बसोड़ परिवारों को रॉयल्टी मुक्त दर पर बांस उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे ही बेगा आदिवासियों तथा अन्य ऐसे समुदायों, जो कि बांस का सामान बनाकर जीविकोपार्जन करते हैं, को भी निस्तार दरों पर बांस उपलब्ध कराया जाात है। म0प्र0 शासन के पत्र क्रमांक एफ–07–02/ 2006/10–3 दिनांक 10 मार्च 2019 द्वारा पान बरेजा परिवारों को निस्तार नीति में सम्मिलित करते हुये निस्तार दर पर बांस प्रदाय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश में निस्तार व्यवस्था के तहत विगत 3 वर्षो में प्रदाय वनोपज का विवरण तालिका क्रमांक 1.25 में दर्शित हैः–

तालिका क्रमांक – 1.25

वर्षवार निस्तार प्रदाय

वर्ष 2017, 2018 एवं 2019 में निस्तार व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदायित वनोपज की मात्रा एवं दर

(मात्रा लाख नग में) (राशि रूपये लाख में)

विवरण	प्रदाय निस्तार सामग्री								
	2017			2018			2019		
वनोपज का नाम	बांस	बल्ली	जलाऊ चट्टें	बांस	बल्ली	जलाऊ चट्टे	बांस	बल्ली	जलाऊ चट्टे
मात्रा	27.62	0.44	0.44	27.04	0.38	0.45	28.25	0.29	0.62
विक्रय मूल्य	444.50	59.36	328.13	279.88	53.89	338.43	408.22	49.53	306.73
बाजार मूल्य	799.53	138.97	724.45	936.29	99.76	737.45	1037.77	142.37	1073.53
दी गई रियायत	944.78			942.00			1345.00		

पिछले 3 वर्षों में मालिक मकबूजा काष्ठ प्रकरण संख्या, प्राप्त काष्ठ व इस हेतु आवंटित बजट की जानकारी तालिका क्रमांक 1.26 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक – 1.26

मालिक मकबूजा प्रकरण हेतु काष्ठ एवं आवंटन

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	प्रकरण संख्या	प्राप्त काष्ठ (घ.मी.)	आवंटन (रुपये हजार में)
1	2017–18	580	16790	339910
2	2018–19	486	13213	348000
3	2019–20	335	9172	246000

तालिका क्रमांक – 1.27

प्रदेश के उत्पादन कार्यों को संपादन करने हेतु

पिछले 3 वर्षों में निर्मित मानव दिवस की जानकारी

क्रमांक	वर्ष	मानव दिवस (लाख में)
1	2017–18	20.70
2	2018–19	24.60
3	2019–20	27.38

1.4.15 वन्यप्राणी प्रबंधन

वन्यप्राणियों की अवैध शिकार एवं अन्य कारणों से मृत्यु :–

समस्त प्रयासों के बाद भी प्रदेश में प्रति वर्ष वन्य प्राणियों के अवैध शिकार एवं अन्य कारणों से मृत्यु के प्रकरण घटित होते हैं। विगत चार वर्षो की प्रकरण संख्या का विवरण तालिका क्रमांक– 1.28 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक – 1.28

(अवैध शिकार एवं मृत्यु प्रकरण)

वर्ष	अवैध शिकार प्रकरण	अन्य मृत्यु प्रकरण	योग
2017	263	559	822
2018	269	526	731
2019	216	915	1131
2020	109	511	620

उपरोक्त प्रकरणों में अवैध शिकार एवं अन्य कारणों से मृत विभिन्न वन्य प्राणियों की संख्या का विवरण तालिका क्रमांक–1.29 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.29

(अवैध शिकार एवं मृत वन्यप्राणी की संख्या)

वर्ष	अवैध शिकार से मृत वन्यप्राणियों की संख्या	अन्य कारणों से मृत वन्य प्राणियों की संख्या	योग
2017	245	611	856
2018	324	957	1281
2019	266	992	1258
2020	93	566	659

मानव तथा वन्यप्राणियों के बीच द्वंद कम करने के प्रयास :–

➢ **वन्यप्राणियों से जन हानि होने पर राहत राशि का भुगतान :–**

उद्देश्य –वन्य प्राणियों द्वारा जन हानि किये जाने पर मृत व्यक्ति के परिवार को राहत राशि उपलब्ध कराना ।

पात्रता की शर्ते :–राहत राशि के भुगतान के लिए आवश्यक पात्रता की शर्ते निम्नानुसार हैः–

- जन–हानि (मृत्यु) वन्यप्राणी (सांप, गुहेरा एवं जहरीले जन्तु को छोडकर) द्वारा हुई हो। (यहां वन्य प्राणी से तात्पर्य वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में दी गई परिभाषा से है)
- आवेदनकर्ता मृत व्यक्ति का उत्तराधिकारी/परिवार का सदस्य/रिश्तेदार हो।

मृत व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधि को सक्षम शासकीय चिकित्सक के प्रमाण–पत्र के आधार पर शासन के आदेश क्रमांक/एफ 15–13/2007/10–2 दिनांक 29 अप्रैल, 2016 के अनुसार 4,00,000 (रूपये चार लाख) मात्र एवं इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।

वर्तमान में म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत वन्य प्राणियों से जन हानि हेतु राहत राशि के भुगतान की निर्धारित समयावधि आवेदन दिनांक से तीन कार्य दिवस है।

विशेष – घटना की लिखित जानकारी तत्काल समीपस्थ वन अधिकारी (वन परिक्षेत्राधिकारी) को प्रस्तुत की जाना चाहिए।

➢ **वन्यप्राणियों से जन घायल होने पर राहत राशि का भुगतान**

उद्देश्य –वन्य प्राणियों से घायल व्यक्ति को राहत राशि उपलब्ध कराना ।

पात्रता की शर्तें – संबंधित व्यक्ति को किसी वन्यप्राणी (सांप, गुहेरा एवं जहरीले जन्तु को छोड़कर) द्वारा घायल किया गया हो। (वन्य प्राणी से तात्पर्य वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में दी गई परिभाषा से है)

घायल व्यक्ति को शासन के आदेश क्रमांक/एफ 15–13/2007/10–2 दिनांक 29 अप्रैल, 2016 के अनुसार निम्नानुसार क्षतिपूर्ति की राशि दिये जाने का प्रावधान है :–

क्र.	वन्यप्राणियों द्वारा की जाने वाली हानि	राहत राशि
1	वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि होने पर	4,00,000 (रूपये चार लाख) मात्र एवं इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय
2	स्थायी विकलांगता होने पर	2,00,000 (रूपये दो लाख) मात्र एवं इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय
3	जनघायल होने पर	इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय तथा अस्पताल में भर्ती रहने की अवस्था में अतिरिक्त रूप में रूपये 500/– प्रतिदिन (अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि हेतु) (क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा रू. 50,000/– (रूपये पचास हजार) तक होगी)

वर्तमान में म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत वन्य प्राणियों से जन घायल होने पर राहत राशि के भुगतान की निर्धारित समयावधि आवेदन दिनांक से सात कार्य दिवस है।

विशेष– घटना की लिखित जानकारी तत्काल समीपस्थ वन अधिकारी (वन परिक्षेत्राधिकारी) को देना अनिवार्य है।

➢ **वन्य प्राणियों से पशु–हानि एवं पशुघायल हेतु राहत राशि का भुगतान**

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र –वन्य प्राणियों द्वारा घरेलू निजी पशुओं को मारे जाने पर पशु मालिकों को प्रति मवेशी आर्थिक सहायता राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध करवायी जाती है तथा वन्यप्राणियों से पशुघायल होने पर शासन के आदेश क्रमांक/एफ 15–13/2007/10–2 दिनांक

29 अप्रैल, 2016 के अनुसार प्रभावित लोगों को वर्तमान में राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार वन्यप्राणियों द्वारा पशुहानि हेतु देय मुआवजा राशि की 50 प्रतिशत राशि तक क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने का प्रावधान है।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया –सहायता पाने के लिये यह आवश्यक है कि –

- निजी पशु मारे जाने/घायल किये जाने पर सूचना समीप के वन अधिकारी को घटना के 48 घंटे के अंदर दी गई हो।
- मारे गये मवेशी/ पशु को मारे गये स्थान से नहीं हटाया गया हो।

वर्तमान में म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत वन्य प्राणियों से पशु हानि हेतु राहत राशि के भुगतान की निर्धारित समयावधि आवेदन दिनांक से तीस कार्य दिवस है।

➢ **वन्य प्राणियों से फसल हानि का मुआवजा**

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र –मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत् वर्तमान में सेवा क्रमांक 4.6 में राजस्व विभाग द्वारा वन्यप्राणियों से किसानों की फसलों को पहुंचाई जाने वाली हानि का मुआवजा 30 कार्य दिवस में दिये जाने का प्रावधान है। इसके तहत हानि का आंकलन राजस्व विभाग में प्रचलित प्रक्रिया अनुसार राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाता है।

तालिका क्रमांक–1.30

मध्यप्रदेश में वन्यप्राणियों से जनहानि, जनघायल एवं पशुहानि के कुल प्रकरण एवं मुआवजा

वर्ष	जनहानि प्रकरण	राशि	जनघायल प्रकरण	राशि	पशुहानि प्रकरण	राशि
2017–18	42	16563690	1025	8427871	6488	61272840
2018–19	47	18896504	1324	9652587	9957	112406365
2019–20	51	20030838	1190	8736774	9760	88330916

वन्यप्राणी संरक्षण तथा मानव–वन्यप्राणी द्वंद को कम करने के लिए वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार बाघों के क्रिटिकल रहवास क्षेत्रों से समस्त ग्रामों का पुनर्स्थापन आवश्यक है। शेष संरक्षित क्षेत्रों के चिन्हित ग्रामों का भी पुनर्स्थापन किया जाना प्रावधानित है। इस हेतु रूपये 10.00 लाख प्रति पुनर्वास इकाई की दर से ग्राम के पुनर्वास के लिए राशि का निर्धारण किया जाता हैं। इसके लिये केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं राज्य योजना के अंतर्गत राशि प्राप्त हो रही है। राज्य शासन की नीति के अनुसार पुनर्स्थापन का कार्य ग्रामवासियों की सहमति के उपरांत ही किया जाता है। पर्यटन कैबिनेट के निर्णय अनुसार संरक्षित क्षेत्र के बाहर अंदरूनी वन क्षेत्र में स्थित ग्राम को भी उनकी सहमति प्राप्त होने पर अन्यत्र पुर्नस्थापित किया जा सकता है। विगत वर्षो में पुनर्स्थापित किये गये ग्रामों की संख्या का विवरण तालिका क्रमांक– 1.31 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक– 1.31

(संरक्षित क्षेत्र में पुर्नस्थापित ग्राम)

वित्तीय वर्ष	पुनर्स्थापित ग्राम संख्या
2017–18	13
2018–19	12
2019–20	3 एवं 8 आंशिक
2020–21 (प्रगतिरत)	1

वन्यप्राणियों की संख्या का आंकलन :–

केन्द्र शासन द्वारा भारत के टाइगर रिजर्व की प्रबंधकीय दक्षता के चतुर्वार्षिक आंकलन अध्ययन (MEE) के परिणामों में मध्य प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व–पेंच, कान्हा एवं सतपुड़ा प्रथम तीन स्थानों पर आए हैं। विवरण तालिका क्रमांक 1.32 में दर्शित है ।

तालिका क्रमांक–1.32

(बाघों की संख्या का आंकलन)

राज्य / वर्ष	2010	2014	2018
मध्यप्रदेश	257 (213–301)	308 (264–352)	526 (441–621)

तेंदुआ स्टेट :–

मध्यप्रदेश ने अखिल भारतीय बाघ गणना 2018 में 526 बाघ होने के साथ बाघ प्रदेश का दर्जा पुनः हासिल किया था वहीं अखिल भारतीय बाघ गणना के दौरान किये गए मांसाहारी वन्यप्राणियों का आंकलन भी किया गया था। केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्री श्री प्रकाश जावेडकर ने अखिल भारतीय तेंदुए के आंकलन की रिपोर्ट का विमोचन किया जिसमें मध्यप्रदेश में सबसे अधिक 3421 तेंदुए होना अनुमानित है। इसी के साथ प्रदेश ने कर्नाटक व महाराश्ट्र को पछाड़ते हुए तेंदुआ स्टेट का दर्जा हासिल किया। मध्यप्रदेश में तेंदुए की आबादी में 80 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है जबकि देश में तेंदुए की आबादी में औसतन 60 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।

प्रदेशव्यापी गिद्धों का आंकलन :–

वन विभाग द्वारा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल के सहयोग से प्रदेश में पहली बार वर्ष 2016 में संकटाग्रस्थ प्रजाति गिद्धों की गणना की गई थी जिसके संकलित परिणाम वर्ष 2018 में प्राप्त हुये है। इसके अनुसार प्रदेश में 07 प्रजाति के लगभग 7000 गिद्ध पाये गये थे तथा वर्ष 2018–19 में भी द्वितीय प्रदेशव्यापी गिद्ध गणना की गई जिसमें लगभग 8300 गिद्ध पाये गये। वर्ष 2021 में भी पूर्व वर्ष की भांति ही माह फरवरी में गिद्ध गणना प्रदेश स्तर पर कराई जाना प्रस्तावित है। यह गिद्ध गणना संकट ग्रस्त गिद्धों के संरक्षण में गिद्ध प्रबंधन भविष्य में नीव का पत्थर साबित होगी।

वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन :—

पर्यटकों की सुविधा के लिये कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय एंव पेंच टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 01.10.2017 से बफर क्षेत्रों में भी ऑन लाइन बुकिंग की सुविधा प्रारंभ की गई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी मार्गदर्शिका के उपबंधों के अधीन टाइगर रिजर्व में पर्यटन हेतु खुला क्षेत्र 20 प्रतिशत की सीमा तक निर्धारित है एवं उक्त के अनुरूप टाइगर रिजर्वों के कोर क्षेत्रों में पर्यटन हेतु पर्यटक वाहन धारण क्षमता निर्धारित की गई है जो विवरण तालिका क्रमांक 1.33 में दर्शित है ।

तालिका क्रमांक—1.33

क्रमांक	टाइगर रिजर्व का नाम	वाहन धारण क्षमता
1	कान्हा	178
2	बांधवगढ़	147
3	पेंच	99
4	पन्ना	85
5	सतपुड़ा	180
6	संजय	80

उक्त टाइगर रिजर्वों एवं अन्य समस्त संरक्षित क्षेत्रों में विगत वर्षो में आये पर्यटकों की संख्या तथा उनसे आय विवरण तालिका क्रमांक 1.34 में दर्शित है ।

तालिका क्रमांक—1.34

(संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या)

वर्ष	पर्यटकों की संख्या (लाख में)	अर्जित आय (लाख में)
2017—18	19.64	2774.41
2018—19	20.25	3107.51
2019—20	15.86	2034.94

पर्यटन वर्ष 2017—18 से नवीन मुकुन्दपुर जू, पचमढ़ी व केन घाड़ियाल अभयारण्य के पर्यटन आकड़े भी सम्मिलित किये गये है।

1.4.16 कार्य आयोजना

प्रदेश के वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन कार्य आयोजना के अनुसार किया जाता है। कार्य आयोजना पुनरीक्षण हेतु प्रदेश में 16 क्षेत्रीय वृत्त स्तर पर कार्य आयोजना इकाईयॉ स्थापित हैं। उन इकाइयों के नियंत्रण हेतु तीन ऑचलिक कार्यालय स्थापित किये गये हैं। विवरण तालिका क्रमांक 1.35 में दर्शित है:—

तालिका क्रमांक 1.35

कार्य आयोजना की क्षेत्रीय इकाईयॉ

कार्य आयोजना ऑचलिक	कार्य आयोजना इकाई
भोपाल	भोपाल बैतूल होशंगाबाद सागर छतरपुर
इंदौर	इंदौर खण्डवा ग्वालियर शिवपुरी उज्जैन
जबलपुर	जबलपुर सिवनी बालाघाट रीवा शहडोल छिन्दवाड़ा

वर्ष 2020–21 में 06 वनमंडलों की पुनरीक्षित कार्य आयोजनाओं का अनुमोदन भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई है,उनका विवरण तालिका क्रमांक 1.36 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.36

स्वीकृत कार्य आयोजनायें

(माह जनवरी 2021 की स्थिति में)

क्रमांक	कार्य का विवरण	संख्या	वनमंडल का नाम
1	**2**	**3**	**4**
1	अनुमोदित कार्य आयोजनायें	06	श्योपुर, सीहोर, उत्तर सागर, विदिशा, जबलपुर एवं सेंधवा

प्रदेश के पुनरीक्षणाधीन कार्य आयोजनाओं का विवरण तालिका क्रमांक 1.37 में दर्शित है :–

तालिका क्रमांक 1.37

प्रदेश के वनमंडलों की पुनरीक्षणाधीन कार्य आयोजना

क्र.	वनमंडल	कार्य आयोजना अधिकारी	अवधि
1	2	3	4
1	देवास	विभाष कुमार ठाकुर	2012-13 से 2021-22
2	रतलाम	विवेक जैन	2011-12 से 2020-21
3	दक्षिण छिन्दवाड़ा	शमशेर सिंह	2011-12 से 2020-21
4	पूर्व मंडला	रमेश कुमार श्रीवास्तव	2010-11 से 2019-20
5	भोपाल	पी.के.सिंह	2009-10 से 2018-19
6	दक्षिण सागर	कमलेश चतुर्वेदी	2009-10 से 2018-19
7	सिंगरौली	अमिताभ अग्नोहोत्री	2009-10 से 2018-19
8	राजगढ़	विश्वनाथ एस. होतगी	2009-10 से 2018-19
9	नरसिंहपुर	सुश्री ए.गौतमी	2011-12 से 2020-21
10	डिण्डौरी	मनोज अग्रवाल	2014-15 से 2023-24
11	रायसेन	भागवत सिंह	2013-14 से 2022-23
12	उत्तर बैतूल	आर.डी.महला	2012-13 से 2021-22
13	हरदा/राजाबरारी	आर.आर. ओखंडियार	2011-12 से 2020-21
14	खण्डवा	संजय शुक्ला	2014-15 से 2023-24
15	नौरदेही (व.प्रा.)	श्रीमती अर्चना शुक्ला	2007-08 से 2016-17
16	मुरैना	विश्राम सागर शर्मा	2013-14 से 2022-23

1.4.17 वन भू–अभिलेख

संरक्षित एवं आरक्षित वनों का गठन –

(क) आरक्षित वन गठित करने हेतु भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 से 20 तक की लम्बी प्रक्रिया से गुजरना होता है। अतः वनभूमि अधिसूचित करने की प्रक्रिया में किसी क्षेत्र को वर्तमान में वैधानिक संरक्षण देने के लिये सर्वप्रथम भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन अधिसूचित किया जा रहा है।

(ख) असीमांकित संरक्षित वनों, जिन्हें नारंगी क्षेत्र कहा जाता है, के सर्वेक्षण में उपयुक्त पाये गये क्षेत्रों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 में अधिसूचित किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

(ग) अनुपयुक्त पाये गये नारंगी क्षेत्रों के निर्वनीकरण हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के लिये जानकारी संकलित की जा रही है।

(घ) आरक्षित वनों में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकारों का व्यवस्थापन कर दिया जाता है। संरक्षित वनों में ऐसे अधिकार यथावत रहते हैं, अतः इनका अभिलेखन किया जाना आवश्यक है। वर्ष 1950 में जागीरदारी एवं जमींदारी प्रथा समाप्त होने के पश्चात् शासन के पक्ष में वेष्ठित भूमियों को वर्ष 1958 में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकारों का अभिलेखन किये बिना ही संरक्षित वन अधिसूचित कर दिया

गया था। इन अधिकारों का अभिलेखन अभी तक लम्बित है। अधिकारों के अभिलेखन का कार्य सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाना है।

वन एवं राजस्व भूमि सीमा विवाद :–

वर्ष 2004 से मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार वन एवं राजस्व भूमि सीमा विवाद के निराकरण की कार्यवाही प्रचलित है। वन सीमा से लगे 19,714 ग्रामों में से 19,554 ग्रामों में वन एवं राजस्व सीमाओं के सत्यापन उपरान्त अभिलेखों को अद्यतन करने की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। शेष ग्रामों में कार्यवाही पूर्ण करने हेतु प्रयास जारी हैं।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 : –

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन की कार्यवाही आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा की जा रही है और पात्र लोगों को वितरित अधिकार पत्रों से संबंधित अभिलेखों के संधारण का दायित्व वन विभाग को सौंपा गया है। आदिम जाति कल्याण विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 30.11.2020 की स्थिति में प्रदेश में व्यक्तिगत 2,30,028 वन अधिकार पत्र 3,41,779.900 हेक्टेयर वनक्षेत्र तथा सामुदायिक 27,976 अधिकार पत्र कुल 5,92,911.800 हेक्टेयर वनक्षेत्र में वितरित किये गये हैं।

1.4.18 समन्वय

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश भोपाल के अधीन प्रदेश के विभागीय कार्यो का संपादन मे समन्वय के कार्य किया जाता है।

मध्य प्रदेश लोक सेवाओ के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2010 का क्रियन्वयन विभाग द्वारा सफलता पूर्वक किया जा रहा है। योजना का क्रियान्वयन ऑनलाइन होने के परिणामस्वरूप इसका सत्त् अनुश्रवण प्रभावी रूप से किया जा रहा है। सेवा प्रदाय का विवरण तालिका क्रमांक – 1.38 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.38

मध्यप्रदेश शासन लोकसेवा प्रबंधन प्रणाली अन्तर्गत सेवा प्रदाय की स्थिति

अब तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	निर्धारित समयसीमा में निराकृत आवेदन पत्रों की संख्या			निर्धारित समयसीमा के पश्चात् निराकृत आवेदन पत्रों की संख्या			लंबित आवेदन पत्रों की संख्या					
	सेवा उपलब्ध कराई गई	सेवा अमान्य कर दी गई	योग	सेवा उपलब्ध कराई गई	सेवा अमान्य कर दी गई	योग	समय सीमा बाह्य	जिनकी समय सीमा पूर्ण होगी आज	2 दिनों में	3 दिनों में	3 दिनों के बाद	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13669	10417	594	11011	1848	229	2077	0	3	5	2	250	260

1.4.19 प्रोजेक्ट

मध्यप्रदेश वन विभाग की प्रोजेक्ट शाखा द्वारा पूर्व से संचालित पारिस्थितिकीय सेवाओं एवं वनों के माध्यम से मौसम परिवर्तन के अध्ययन के कार्यक्रम के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित नेशनल कार्बन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत देश के चौथे तथा मध्यप्रदेश के प्रथम कार्बन फ्लाक्स टॉवर की स्थापना वर्ष 2012 में पश्चिम बैतूल वनमंडल जिला बैतूल में की गई थी। वर्ष 2017 में प्रदेश के द्वितीय कार्बन फ्लाक्स टॉवर की स्थापना कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जिला मंडला में की गई है तथा यह सुचारू रूप से कार्यरत है।